

फल पट्टियों का विकास कर बागवानी को बढ़ावा दिये जाने की योजना के दिशा-निर्देश वर्ष 2017-18

1. प्रस्तावना

प्रदेश की भूमि एवं जलवायु फलदार पौधों के लिए उपयुक्त है। प्रदेश के कतिपय जनपद के क्षेत्र, फल विशेष उत्पादन के लिए अधिक उपयुक्त है। इन क्षेत्रों में फल विशेष के गुणवत्तायुक्त उत्पादन तथा क्षेत्र विस्तार को प्रोत्साहन करने हेतु फल पट्टी के रूप में विकसित करने का प्रयास किया गया है। प्रदेश में 3 फलों आम, अमरुद एवं आंवला के विकास के लिए राज्य सरकार द्वारा फल पट्टी घोषित की गयी हैं। आम फलपट्टी के अन्तर्गत जनपद सहारनपुर, मेरठ, बागपत, बुलन्दशहर, अमरोहा, प्रतापगढ़, वाराणसी, लखनऊ, उन्नाव, सीतापुर, हरदोई, फैजाबाद तथा बाराबंकी के 31 विकास खण्ड आच्छादित हैं। अमरुद फलपट्टी के अन्तर्गत जनपद कौशाम्बी एवं बदायूँ के 06 विकास खण्ड चयनित है तथा आंवला फलपट्टी के अन्तर्गत जनपद प्रतापगढ़ के 2 विकास खण्ड चयनित किये गये हैं। फल विशेष के गुणवत्तायुक्त उत्पादन एवं क्षेत्र विस्तार हेतु फल पट्टियों का विकास कर बागवानी को बढ़ावा देने का उल्लेख प्रदेश सरकार के “संकल्प पत्र 2017” में उल्लेख है, जिसे दृष्टिगत रखते हुए फलपट्टियों का विकास कर बागवानी को बढ़ावा दिये जाने की कार्ययोजना तैयार की गयी है। इस कार्य योजना में चयनित कृषकों को चयनित क्षेत्र विस्तार, कैनोपी मैनेजमेंट, प्लास्टिक क्रेटस, हार्वेस्टर, पैक हाउस निर्माण, एकीकृत कीट नाशी प्रबन्धन (आई0पी0एम0)/एकीकृत पोषण तत्व प्रबन्धन (आई0एन0एम0), पावर स्प्रेयर आदि को सहायतित मूल्य पर उपलब्ध कराना समावेशित किया गया है।

2. उद्देश्य

फलपट्टी विकास कर बागवानी विकास का उद्देश्य निम्नवत है:-

- 2.1 संहत क्षेत्रों में गुणवत्तायुक्त फल उत्पादन तथा क्षेत्र विस्तार करना।
- 2.2 पुराने अल्प उत्पादक बागों का जीर्णोद्धार एवं कैनोपी प्रबन्धन।
- 2.3 विपणन/भण्डारण की सुगमता हेतु प्लास्टिक क्रेट्स का वितरण।
- 2.4 आम की तुड़ाई से क्षति बचाने हेतु मैंगो हार्वेस्टर को उपलब्ध कराना।
- 2.5 फलों के भण्डारण/ग्रेडिंग हेतु आनफार्म पैक हाउस निर्माण कराना।
- 2.6 कीट/व्याधि नाशक रसायनों से होने वाले प्रदूषण/हानियों से सुरक्षा हेतु आई0पी0एम0/आई0एन0एम0/पैकेज को प्रोत्साहित करना।
- 2.7 कीट नाशक रसायनों के छिड़काव हेतु पावर स्प्रेयर का वितरण।
- 2.8 फलोत्पादन की तकनीकों एवं तुड़ाई के उपरान्त क्षतियों को कम करने आदि के सम्बन्ध में कृषकों/बागवानों को प्रशिक्षित करना।
- 2.9 योजना के प्रचार-प्रसार हेतु गोष्ठियों का आयोजन करना।

3. दिशा निर्देश का प्रभावी अवधि

फलपट्टी का विकास कर बागवानी को बढ़ावा देने विषयक यह दिशा-निर्देश वर्ष 2017-18 से प्रभावी होगी।

4. लाभार्थी चयन की प्रक्रिया

उचित लाभार्थी का चयन कार्यक्रम की सफलता एवं इम्पैक्ट सुनिश्चित करने के लिये एक महत्वपूर्ण बिन्दु है। इसे पूरी पारदर्शिता एवं सावधानी पूर्वक सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है। सर्वप्रथम कृषकों को कार्यक्रमों की पूर्ण जानकारी होना आवश्यक है। इच्छुक कृषकों को योजना के अन्तर्गत लाभार्थी चयन हेतु ऑनलाइन पंजीकरण कृषि विभाग, उ0प्र0 की वेबसाइट upagriculture.com पर कराना होगा। तदुपरान्त उन्हें निर्धारित प्रारूप पर प्रार्थना पत्र जिला उद्यान अधिकारी को देना होगा (एनेक्जर-1 पर दिया गया है),

जिसके साथ कृषक होने का साक्ष्य, (किसान जोत बही), प्रस्तावित क्षेत्रफल में जिसमें कार्यक्रम लिया जाना हो विषयक साक्ष्य, रू0-10/- के स्टाम्प पर अनुबन्ध-पत्र संलग्न किया जायेगा। प्राप्त आवेदन-पत्र सम्बन्धित योजना प्रभारी/क्षेत्रीय कार्यकर्ता के स्थलीय निरीक्षण की आख्या/संस्तुति तथा खण्ड विकास अधिकारी द्वारा संस्तुति/अग्रसारण के उपरान्त जिला उद्यान अधिकारी के कार्यालय में प्रस्तुत किये जायेंगे, जिन्हें उनके पूर्ण पता सहित एक पंजिका में क्रमबद्ध रूप में अभिलिखित किया जायेगा। इस प्रकार प्राप्त पूर्ण आवेदन पत्र प्रथम आवक-प्रथम पावक के आधार पर जिला उद्यान अधिकारी/अधीक्षक राजकीय उद्यान द्वारा स्वीकृति पत्र जारी किया जायेगा। जिला उद्यान अधिकारी द्वारा स्वीकृति जारी होने पर आवेदनकर्ता योजना का लाभार्थी माना जायेगा। लाभार्थी चयन स्वीकृत पत्र का प्रारूप एनेकजर-2 पर दिया गया है।

5. लाभार्थी चयन हेतु पात्रता की शर्तें

योजना की सफलता का मुख्य आधार उपयुक्त लाभार्थियों का चयन ही होता है। अतएव लाभार्थियों के चयन के संबंध में निम्न बिन्दुओं को ध्यान में रखा जाये:-

- लाभार्थियों का चयन ऑनलाइन के माध्यम से उपयुक्तता के आधार पर प्रथम आवक-प्रथम पावक के सिद्धांत पर किया जाएगा।
- लाभार्थियों के पास अपना बाग हो तथा जो अनुदान के अतिरिक्त वांछित धनराशि की व्यवस्था करने में सक्षम हो।
- योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार विभिन्न समाचार पत्रों, इलेक्ट्रानिक प्रिंट मीडिया आदि के माध्यम से किया जायेगा।
- योजनान्तर्गत फलपट्टी क्षेत्र (बिन्दु सं0-6 के अनुसार) के सभी कृषक पात्र हैं, परन्तु लघु सीमान्त एवं महिला कोटि के कृषकों को वरीयता प्रदान की जाये।
- प्रदेश सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आरक्षण नियम लागू होंगे।
- योजनान्तर्गत एक लाभार्थी को अधिकतम 4.0 हे0 की सीमा तक अनुदान अनुमन्य होगा। इस सीमा तक अनुदान एक वर्ष अथवा उससे अधिक अवधि में लाभ दिया जा सकेगा।

6. योजना का कार्यक्षेत्र

प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश में फलों के विकास हेतु आम, अमरूद और आंवला की फल पट्टियां घोषित की गई है। आम फलपट्टी के अन्तर्गत 13 जनपद (सहारनपुर, मेरठ, बागपत, बुलन्दशहर, अमरोहा, प्रतापगढ़, वाराणसी, लखनऊ, उन्नाव, सीतापुर, हरदोई, फैजाबाद, बाराबंकी), अमरूद फल पट्टी के अन्तर्गत 02 जनपद (कौशाम्बी और बदायूँ) तथा आंवला फल पट्टी के अन्तर्गत 01 जनपद प्रतापगढ़ आच्छादित है। इन जनपदों के चयनित विकास खण्ड फल पट्टी योजना के अन्तर्गत आच्छादित है, जिनका जनपदवार विवरण निम्नवत है।

क्र० सं०	जनपद	चयनित विकास खण्डों की संख्या	चयनित विकास खण्ड
1	2	3	4
1	सहारनपुर	1	सधौली कदीम, बेहट
2	मेरठ	1	माछरा (शाहजहाँपुर)
3	बागपत	3	जानी, पिलाना, खेकड़ा
4	बुलन्दशहर	2	स्याना, ऊँचागाँव
5	अमरोहा	4	1-अमरोहा, जोया, 2-गजरौला, हसनपुर
6	प्रतापगढ़	2	कुँण्डा, कालाकांकर

क्र० सं०	जनपद	चयनित विकास खण्डों की संख्या	चयनित विकास खण्ड
7	वाराणसी	1	चिरईगाँव
8	लखनऊ	4	1-माल, मलिहाबाद, काकोरी 2-बक्शी का तालाब
9	उन्नाव	5	हसनगंज, मियांगंज, औरास, सफीपुर, फतेहपुर
10	सीतापुर	2	1-महमूदाबाद 2-खैराबाद
11	हरदोई	1	शाहाबाद
12	फैजाबाद	3	1-मसौधा, सोहावल 2- माया बाजार
13	बाराबंकी	2	देवा, बंकी
अमरूद-			
1	कौशाम्बी	2	चायल, मूरतगंज
2	बदायूँ	4	म्याऊ, जगत, उसावां, कादरचौक
आंवला-			
1	प्रतापगढ़	2	सदर, मगरौरा

7. प्रस्तावित कार्य

योजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्य निम्नवत् हैं-

7.1 क्षेत्र विस्तार -

आम, अमरूद एवं आंवला फलों के क्षेत्र विस्तार हेतु एकीकृत बागवानी विकास मिशन योजना के अनुसार राज्य सहायता दी जानी प्रस्तावित है।

नये उद्यानों की स्थापना हेतु सांकेतिक ईकाई लागत/राज्य सहायता का विवरण निम्नवत् है-

7.1.1- इकाई लागत प्रति हेक्टेयर- आम की सघन बागवानी

पौध संख्या- 400 (5×5) मी०

(धनराशि ₹० में)

क्र० सं०	मद	प्रस्तावित व्यवस्था		
		स्थापना वर्ष (60%)	अनुरक्षण द्वितीय वर्ष (20%)	अनुरक्षण तृतीय वर्ष (20%)
सामाग्री लागत				
1	पौध सामग्री (रोपण वर्ष 10% अतिरिक्त, द्वितीय वर्ष 25% तृतीय वर्ष 10%) + आई.पी.एम./आई.एन.एम. (नीम केक, एसपरजिलस, ट्राइकोडर्मा, बिबेरिया वैसियाना, एजेटोबैक्क्टर, पी.एस.बी.एवं के.एम.बी) (अनुदान की धनराशि का व्यय प्राथमिकता पर रोपण सामग्री पर की जायेगी।)	9840	3280	3280
योग-		9840	3280	3280

7.1.2— इकाई लागत प्रति हेक्टेयर— अमरुद की सघन बागवानी
पौध संख्या— 1111 (3×3) मी०

(धनराशि रू० में)

क्र० सं०	मद	प्रस्तावित व्यवस्था		
		स्थापना वर्ष (60%)	अनुरक्षण द्वितीय वर्ष (20%)	अनुरक्षण तृतीय वर्ष (20%)
	सामग्री लागत			
1	पौध सामग्री (रोपण वर्ष 10% अतिरिक्त, द्वितीय वर्ष 25% तृतीय वर्ष 10%) +आई.पी.एम./आई.एन.एम. (नीम केक, एसपरजिलस, ट्राइकोडर्मा, बिबेरिया वैसियाना, एजेटोबैक्टर, पी एस बी एवं के एम बी) (अनुदान की धनराशि का व्यय प्राथमिकता पर रोपण सामग्री पर की जायेगी।)	17599	5866	5867
	योग—	17599	5866	5867

7.1.3— इकाई लागत प्रति हेक्टेयर— आम
पौध संख्या— 100 (10×10) मी०

(धनराशि रू० में)

क्र० सं०	मद	प्रस्तावित व्यवस्था		
		स्थापना वर्ष (60%)	अनुरक्षण द्वितीय वर्ष (20%)	अनुरक्षण तृतीय वर्ष (20%)
	सामग्री लागत			
1	पौध सामग्री (रोपण वर्ष 10% अतिरिक्त, द्वितीय वर्ष 25% तृतीय वर्ष 10%)	3300	750	300
2	आई.पी.एम./आई.एन.एम. (नीम केक, ट्राइकोडर्मा, बिबेरिया वैसियाना, एजेटोबैक्टर, पी.एस.बी. एवं के. एम. बी.)	2350	1000	1000
3	वर्मी कम्पोस्ट	2000	800	1250
	योग—	7650	2550	2550

7.1.4— इकाई लागत प्रति हेक्टेयर— अमरूद
पौध संख्या—278 (6×6) मी०

(धनराशि रू० में)

क्र० सं०	मद	प्रस्तावित व्यवस्था		
		स्थापना वर्ष (60%)	अनुरक्षण द्वितीय वर्ष (20%)	अनुरक्षण तृतीय वर्ष (20%)
	सामाग्री लागत			
1	पौध सामग्री (रोपण वर्ष 10% अतिरिक्त, द्वितीय वर्ष 25% तृतीय वर्ष 10%)	7296	1680	672
2	आई.पी.एम./आई.एन.एम. (नीम केक, एसपरजिलस, ट्राइकोडर्मा, बिबेरिया वैसियाना, एजेटोबैक्टर, पी.एस. बी. एवं के. एम. बी.)	2206	1354	1354
3	वर्मी कम्पोस्ट	2000	800	1808
	योग—	11502	3834	3834

7.1.5— इकाई लागत प्रति हेक्टेयर— आंवला
पौध संख्या—278 (6×6) मी०

(धनराशि रू० में)

क्र० सं०	मद	प्रस्तावित व्यवस्था		
		स्थापना वर्ष (60%)	अनुरक्षण द्वितीय वर्ष (20%)	अनुरक्षण तृतीय वर्ष (20%)
	सामाग्री लागत			
1	पौध सामग्री (रोपण वर्ष 10% अतिरिक्त, द्वितीय वर्ष 25% तृतीय वर्ष 10%)	6992	1587	644
2	आई.पी.एम./आई.एन.एम. (नीम बेसड फारमुलेशन, ट्राइकोडर्मा, एजेटोबैक्टर, पी.एस. बी. एवं के. एम. बी.)	2510	2414	3357
3	वर्मी कम्पोस्ट	2500	—	—
	योग—	12002	4001	4001

7.2 पुराने अनुत्पादक बागों/वृक्षों को रिप्लेसमेंट की व्यवस्था

फल पट्टी क्षेत्र के अन्तर्गत पुराने बागों/वृक्षों जो अनुत्पादक हो गये हैं, उनको रिप्लेसमेंट किये जाने की अनुमति इस शर्त के साथ प्रदान की जायेगी कि यह सुनिश्चित हो जाये कि बाग/वृक्ष अनुत्पादक हो गये हैं, और उनको जीर्णोद्धार/कैनोपी मैनेजमेंट तकनीकों से उत्पादक बनाया जाना सम्भव न हो। ऐसे अनुत्पादक बागों/वृक्षों को रिप्लेसमेंट किये जाने की संस्तुति जनपद स्तर पर गठित समिति द्वारा की जायेगी। इस समिति में वन विभाग, कृषि विज्ञान केन्द्र अथवा केन्द्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान के वैज्ञानिक, जिलाधिकारी द्वारा नामित मजिस्ट्रेट तथा सम्बन्धित जनपद के जिला उद्यान अधिकारी (सदस्य-सचिव) होंगे। यह समिति कृषकों/बागवानों द्वारा अनुत्पादक बागों/वृक्षों के रिप्लेसमेंट हेतु दिये गये आवेदन पत्र पर बागों/वृक्षों का निरीक्षण करेगी। निरीक्षण समिति बागों/वृक्षों के अनुत्पादक पाये जाने की दशा में पातन के अनुमति की संस्तुति सम्बन्धित वन विभाग के अधिकारी को उपलब्ध करायेगी।

7.3 कैनोंपी प्रबन्धन

जीर्णोद्धार तकनीकी के अन्तर्गत बागों की दशा एवं फल पौधों की उम्र के आधार पर निम्नलिखित प्रबन्धन चरणबद्ध ढंग से किया जाये :-

1. बीजू पौधों के ऐसे बाग जो पुराने एवं अनुत्पादक हो गये हैं, उनकी टॉप वर्किंग की जायेगी, जिसमें बीजू पौधों के टहनियों पर उत्तम गुणवत्ता के किस्मों के सायन की ग्राफिटिंग/बडिंग करके इन्हें उत्तम व्यसायिक किस्मों में बदल दिया जायेगा।
2. विभिन्न किस्मों के उम्र के अनुसार ट्रिमिंग एवं बिरलीकरण न करने पर पौधों की यह प्रवृत्ति होती है कि उनकी टहनियां आपस में मिलकर सघन हो जाती है। अतएव ऐसे पौधे जिनकी टहनियां आपस में मिल गई हों, उनका उचित ट्रिमिंग एवं बिरलीकरण किया जाए।
3. यह कार्यवाही शाखाओं की ट्रिमिंग एवं टहनियों के प्रबन्धन के द्वारा पौधों का आकार रूपांतरित कर उचित कैनोंपी आकार प्रदान किया जा सकता है।

आम : आम हेतु 120 किग्रा0 सड़ी गोबर की खाद या कम्पोस्ट, 2.5 किग्रा0 यूरिया, 3 किग्रा0 सिंगल सुपरफास्फेट और 1.5 किग्रा0 म्यूरेंट ऑफ पोटास प्रति वृक्ष संस्तुत किया गया है। यूरिया की आधी मात्रा तथा सिंगल सुपरफास्फेट और म्यूरेंट ऑफ पोटास की सम्पूर्ण मात्रा फरवरी माह के अन्त में प्रयोग करना चाहिये। यूरिया की अवशेष आधी मात्रा जून माह के अन्त में प्रयोग करना चाहिये जबकि कम्पोस्ट की सम्पूर्ण मात्रा (120 किग्रा0 प्रति वृक्ष) जुलाई माह के प्रथम सप्ताह में प्रयोग किया जाये। खाद एवं उर्वरकों का प्रयोग पेड़ के चारों ओर बने बेसिन में करें।

जीर्णोद्धार/कैनोंपी प्रबन्धन किये हुए पेड़ों की समुचित सिंचाई निकले हुए कल्लों के उचित विकास हेतु किया जाना आवश्यक है। इसलिये वातावरण के तापक्रम एवं भूमि में नमी की दशा के अनुसार कृन्तन किये गये वृक्ष की मार्च से लेकर मानसून आने तक 15 से 20 दिन के अन्तर पर सिंचाई किया जाना आवश्यक है। नमी संरक्षण हेतु वृक्षों के नीचे मल्टिचिंग करना लाभप्रद होगा।

अमरूद जीर्णोद्धार/कैनोंपी प्रबन्धन :

1. अमरूद के लगभग सूखे वृक्षों को मई माह में जमीन की सतह से 1-1.5 मीटर ऊपर से पूरी तरह हेडबैक कर देना चाहिये जिससे इसके ऊपर स्वस्थ कैनोंपी विकसित हो सकती है।
2. इन नवसृजित कल्लों को 40 से 50 सेमी0 लम्बाई तक बढ़ने देना चाहिये, उसके बाद अक्टूबर माह में इन नवसृजित टहनियों/कल्लों को इसकी 50 प्रतिशत लम्बाई पर पुनः कृन्तन कर देना चाहिये जिससे इसके चारों ओर और शाखाएं निकल सकें।
3. यदि किसान वर्षा ऋतु की फसल लेने का इच्छुक हो तो इन कल्लों पर कली एवं फल आने के लिये छोड़ देना चाहिये।
4. यह उचित होगा कि इन पेड़ों पर जाड़े की फसल को प्रोत्साहित किया जाए, इसलिये वर्षा ऋतु की फसल को रोकने के लिये मई माह में टहनियों का कृन्तन (50 प्रतिशत) पुनः कर देना चाहिये जिससे नए कल्ले विकसित हो सकें। मई माह के कृन्तन के बाद निकले हुए इन नए कल्लों में जाड़े ऋतु में अधिक फलत की क्षमता पायी जाती है।
5. कृन्तन की यह क्रमिक एवं आवर्ती प्रक्रिया प्रत्येक वर्ष दोहराते रहना चाहिये, जिससे पौधों को उचित आकार एवं कैनोंपी मिल सकें तथा जाड़े के ऋतु में अधिकाधिक एवं गुणवत्तायुक्त फलत प्राप्त हो सकें।
6. जीर्णोद्धार/कैनोंपी प्रबन्धन के तत्काल बाद सिंचाई करना चाहिये। जीर्णोद्धार किये गये वृक्षों में ओजस्वी कल्लों के उचित विकास हेतु सिंचाई का समुचित प्रबन्धन करना चाहिये।

7. हेडिंग बैक चरण के दौरान 50 किग्रा0 कम्पोस्ट और 6 किग्रा0 नीम की खली प्रति पेड़ देना चाहिये। जीर्णोद्धार के 6 माह पश्चात् 40 किग्रा0 कम्पोस्ट, 4 किग्रा0 नीम की खली, 1.3 किग्रा0 यूरिया, 1.8 किग्रा0 सिंगल सुपरफास्फेट, 500 ग्राम म्यूरैट ऑफ पोटैस प्रति पेड़ प्रति वर्ष दिया जाना चाहिये।

आवंला : आवंले के हेड बैक के दौरान 50 किलोग्राम सड़ी गोबर की खाद/कम्पोस्ट और 8 किलोग्राम नीम की खली प्रति पेड़ दिया जाना चाहिये। हेड बैक के 6 माह उपरान्त 50 किलोग्राम सड़ी गोबर की खाद/कम्पोस्ट, 4 किलोग्राम नीम की खली, 01 किग्रा0 नत्रजन, 500 ग्राम पोटैस और 750 ग्राम फास्फोरस प्रति पेड़ प्रति वर्ष की दर से दिया जाये। 50 प्रतिशत नत्रजन और फास्फोरस तथा पोटैस की सम्पूर्ण मात्रा जनवरी-फरवरी माह में प्रयोग करें तथा अवशेष नत्रजन की मात्रा जून माह में प्रयोग करें।

नवसृजित कल्लों का बिरलीकरण

1. कृत्तन के तीन से चार माह बाद कृत्तित शाखाओं पर ढेर सारे कल्लें निकलते हैं। जिनका बिरलीकरण अनिवार्य होगा।
2. वृक्षों को उचित आकार प्रदान करने के लिये इन कल्लों का बिरलीकरण किया जाये। जिसके लिये शाखाओं के चारों ओर 8-10 स्वस्थ एवं ओजस्वी कल्लों को छोड़कर शेष को निकालकर वृक्ष को उचित आकार प्रदान कर दिया जाये जिससे इन कल्लों को उचित पोषण एवं प्राकश मिल सके।
3. बिरलीकरण का कार्य मानसून सीजन के दौरान किया जाये। बिरलीकरण के तत्काल बाद कल्लों तथा टहनियों पर 50 प्रतिशत कापर आक्सीक्लोराइड का घोल (3 ग्राम प्रति लीटर पानी) का छिड़काव किया जाये।

कीट एवं व्याधि प्रबन्धन

1. कृत्तित पौधों के जीवितता और नये कल्लों के स्वस्थ विकास हेतु कीट एवं व्याधियों का सघन प्रबन्धन किया जाना अति आवश्यक है।
2. कृत्तित वृक्षों की शाखाओं पर तना बेधक कीट के प्रकोप का निरीक्षण करते रहना चाहिये।
3. तना बेधक कीट द्वारा शाखाओं पर बनाये गये छेदों से कीट के लार्वा को साइकिल की तिल्ली अथवा किसी मजबूत पतले तार की सहायता से बाहर निकालकर नष्ट कर देना चाहिये।
4. शाखाओं तथा टहनियों के सुराखों में छुपे हुए लार्वा को नष्ट करने के लिये सुराखों में किसी कीटनाशी (डाईक्लोरोवास) में भीगे हुए रूई के टुकड़ों को डालकर ऊपर से चिकनी मिट्टी का लेप कर देना चाहिये।
5. लीफ कटिंग वीविल कल्लों की पत्तियों को काटकर नष्ट करती हैं। इसके नियंत्रण के लिये 0.2 प्रतिशत (4 ग्राम प्रति लीटर पानी) कार्बरिल के घोल का दो छिड़काव 15 दिन के अन्तर पर करना चाहिये।
6. नई पत्तियों पर एन्थ्रैक्नोज व्याधि का प्रकोप बहुतायत होता है, जिसके प्रबन्धन के लिये कापर आक्सीक्लोराइड के घोल का (3 ग्राम प्रति लीटर पानी) 15 दिन के अन्तर पर दो छिड़काव करना चाहिये।

7.4 प्लास्टिक क्रेट्स वितरण :-

योजना के अन्तर्गत वितरित की जाने वाली क्रेट्स का अधिकतम मूल्य 500 निर्धारित किया गया है, जिसमें राज्य सहायता का अंश 75 प्रतिशत अर्थात् रू0 375.00 प्रति क्रेट्स राज्य सहायता देय होगा।

7.5 मैंगो हार्वेस्टर

योजना के अन्तर्गत वितरित किये जाने वाले मैंगो हार्वेस्टर का अधिकतम मूल्य 250 निर्धारित किया गया है, जिसमें राज्य सहायता का अंश 75 प्रतिशत अर्थात् ₹0 188.00 प्रति हार्वेस्टर की दर से राज्य सहायता देय होगा।

7.6 ग्रेडिंग पैकिंग सेन्टर

योजनान्तर्गत प्रति पैक हाउस पूंजीगत लागत धनराशि ₹0 4.00 लाख का 50 प्रतिशत ₹0 2.00 लाख की आर्थिक सहायता बैंक एण्डेड सब्सिडी के रूप में देय है। पैक हाउस निर्माण में धरातल से कम से कम एक फिट ऊंचाई पर एक वर्किंग शेड (9 मी0 x 6 मी0) तैयार किया गया हो एवं उसमें फल/सब्जियों के धोने की व्यवस्था, प्लास्टिक क्रेट्स, डीसैपिंग हॉट वाटर ट्रीटमेंट सुविधा, ग्रेडिंग पैकिंग की सुविधा तथा ग्रेडिंग पैकिंग उपरान्त विपणन योग्य उत्पाद के उचित भण्डारण कक्ष की सुविधा आदि का समावेश होना चाहिये।

7.7 एकीकृत कीट रोग प्रबन्धन की क्रमिक गतिविधियां

1. शस्य क्रियाओं द्वारा प्रबंधन

- फसल कटाई के बाद असमान प्रजाति के पौधों को खेत से उखाड़ कर नष्ट करना तथा प्रमाणित बीज/रोगरोधी किस्मों का ही प्रयोग किया जाय।
- फ्रैचबीन के साथ फसल चक्र अपनाने से बैक्टीरियल विल्ट बीमारी का प्रकोप कम होता है।
- खाद्यान फसलों के साथ फसल चक्र तथा गेंदा, प्याज और लहसुन के साथ इन्टरक्रॉपिंग (अन्तराशस्य) करने से निमेटोड्स का प्रकोप कम हो जाता है।
- पौधशाला में उठी हुई क्यारियों में पौध उत्पादन से भूमि जनित रोगों से बचाया जा सकता है।
- पारदर्शी काली पॉलीथीन फिल्म 60–100 गेज नर्सरी क्यारियों पर 15–21 दिन तक लगाने पर सौर्य उष्मीकरण द्वारा खरपतवारों के बीज, निमेटोड्स तथा भूमि के कीट एवं बीमारियां नष्ट हो सकती हैं।
- गर्मियों में गहरी जुताई करने से सूर्य की गर्मी से हानिकारक कीट नष्ट हो जाते हैं।
- एन0पी0के0 उर्वरकों को सन्तुलित मात्रा में प्रयोग करने से फसल स्वस्थ होती है।
- सब्जियों की पौध उत्पादन लो-टनल नर्सरी में करें।

2. यांत्रिक नियंत्रण

- एपीलेकना बीटिल, कीटों के अण्डे, लार्वी, ग्रब्स, प्यूपा तथा वयस्कों को पकड़ कर नष्ट करना।
- क्षतिग्रस्त शाखाओं को काटकर तथा फलों को एकत्र कर नष्ट करना।
- Yellowpan/sticky traps 10 प्रति हेक्टेयर की दर से रस चूसने वाले कीड़ों के लिए लगाते हैं। फ़ैरोमोन-ट्रैप 5 से 15 प्रति हेक्टेयर की दर से लगाने पर फल भेदक कीटों के वयस्कों को नष्ट किया जा सकता है।
- फसल को बुआई/रोपाई के बाद 4 से 6 सप्ताह तक खरपतवारों से मुक्त रखना चाहिए।

3. जैविक नियंत्रण

- प्रीडेटर्स जैसे लेडीबर्ड बीटिल जो एफिड को खाती है, का संरक्षण किया जाय।
- प्राकृतिक शत्रुओं के संरक्षण के लिए मेड़ों पर लोबिया या दाल वाली फसल लगानी चाहिए।

- ट्राईकोग्राम को 50 हजार अण्डे प्रति हेक्टेयर पुष्पारम्भ से साप्ताहिक अन्तराल पर 6 बार प्रयोग करते हैं।
- क्राइसोपरला कार्निया के 2 ग्रब्स प्रति पौधा की दर से हैलिकोवर्पा, एफिड्स तथा अन्य कोमल कीटों की रोकथाम हेतु छोड़ते हैं।
- फसल में पुष्पारम्भ से फलों के विकास तक HaNPV LE 6X10PIB/LE तीन बार छिड़काव करें।
- बी0टी0 500 ग्रा0 प्रति हेक्टेयर की दर से कीट पतंगों के विरुद्ध छिड़काव करते हैं।
- ट्राईकोडर्मा विरडी/ट्राईकोडर्मा हार्जिएनम 5 ग्रा0 प्रति किलो बीज की दर से बीज जनित रोगों की रोकथाम हेतु बीजोपचार किया जाए।
- मूलग्रन्थि निमेटोड की रोकथाम हेतु 200 किलोग्राम नीम की खली भूमि तैयारी के समय प्रयोग की जाती है।
- आई0पी0एम0 कार्यक्रम को सफलता पूर्वक क्रियान्वित करने और अच्छे परिणाम प्राप्त करने के लिए औद्योगिक फसलों के सघन क्षेत्रों का चयन आवश्यक है तथा संहत क्षेत्रों के अन्तर्गत वर्ष की तीनों मौसमों में उगाई जा रही फसलों में 4 हे0 सीमा तक आई0पी0एम0 सुविधा अनुमन्य होगी। तदुपरान्त आगामी वर्ष में अन्य सघन क्षेत्रों का चयन करना होगा। ऐसी फसलें जिनमें रासायनिक दवाओं का अन्धाधुन्ध प्रयोग किया जा रहा है, चयनित संहत क्षेत्रों के अन्तर्गत उन फसलों में आई0पी0एम0 पैकेज को प्राथमिकता दी जाय।

फल एवं शाकभाजी फसलों में एकीकृत नाशीजीव प्रबन्धन कार्यक्रमों के आयोजन हेतु उपरोक्त वर्णित क्रमिक गतिविधियों को फसल की आवश्यकतानुसार अपनाने हेतु कृषकों को प्रेरित किया जाय। फलपट्टी विकास योजना के अन्तर्गत कुल लागत धनराशि रू0 4000/- का 30 प्रतिशत अधिकतम रू0 1200/- प्रति हेक्टेयर की दर से राज्य सहायता की व्यवस्था है। यह सहायता एक कृषक को अधिकतम 4 हे0 की सीमा तक देय होगी जो प्रमुख आई0पी0एम0 टूल्स जैसे अल्काथीन शीट 400 गेज, मिथाइल यूजीनॉल, एसपरजिलस, फेरोमोन ट्रैप+ल्योर्स, एन.पी.वी., ट्राईकोडर्मा हारजिएनम, इन्सेक्ट अट्रैक्टेंट, बायोपेस्टीसाइड्स, आई.एन.एम. कम्पोनेंट लिक्विड बायो फर्टीलाइजर आफ एन.पी. एण्ड के. पर अनुमन्य होगी। फसलवार आवश्यक निवेशों को अनुमानित व्यय विवरण निम्नवत् है, जो स्थानीय आवश्यकता के अनुसार घट-बढ़ सकता है।

फसल	आई.पी.एम.टूल्स	धनराशि (रू0/हे0)	सहायता/अनुदान (रू0/हे0)
आम एवं आंवला	अल्काथीन शीट 400 गेज मिलीबग हेतु, विवेरिया/स्यूडोमोनॉस, मिथाइल यूजीनॉल/फेरोमोन ट्रैप, बायोपेस्टीसाइड्स, आई.एन.एम. कम्पोनेंट लिक्विड बायो फर्टीलाइजर आफ एन.पी. एण्ड के.	4000	1200
अमरूद	एसपरजिलस, मिथाइल यूजीनॉल/फेरोमोन ट्रैप, बायोपेस्टीसाइड्स, आई.एन.एम. कम्पोनेंट लिक्विड बायो फर्टीलाइजर आफ एन.पी. एण्ड के.	4000	1200
	योग-	4000	1200

भारत सरकार द्वारा 27 कीट व्याधिनाशक रसायनों के उत्पादन, आयात एवं प्रयोग हेतु रोक लगाई गई है, 13 रसायनों के सुरक्षित प्रयोग के लिए प्रतिबन्धित तथा कतिपय अन्य रसायनों के आयात/निर्यात तथा अन्य उपयोग हेतु सुरक्षित नहीं माना गया है। ऐसे प्रतिबन्धित/रोक लगाये गये रसायनों का प्रयोग बागवानी फसलों में न होने दिया जाय। औद्योगिक फसलों में आई.पी.एम. टूल्स के

प्रयोग को प्रोत्साहित किया जाय। प्रतिबन्धित एवं रोक लगाये गये रसायनों की सूची एनेक्जर-3 पर दिया गया है। विभिन्न फसलों में संस्तुत आई.पी.एम. टूल्स निम्नवत् है:-

आम उद्यानों में एकीकृत नाशीजीव प्रबन्धन

क्र० सं०	कीट/व्याधि	प्रभावी समय	आई.पी.एम. पैकेज	प्रति हे० मात्रा
1	फल मक्खी	माह मई से जुलाई	मिथाईल यूजीनाल 0.1 प्रतिशत (1.5 मिली/ली० पानी)+ मैलाथियान 0.2 प्रतिशत (2.0 मिली/ली० पानी) का घोल बनाकर 8-10 जगह प्रति हे० के हिसाब से चौड़े मुंह की शीशी/डिब्बों में भरकर लटकाना चाहिए।	मिथाईल यूजीनाल-15-20 मिली० मैलाथियान-25-30 मिली०
2	आन्तरिक सड़न	मार्च से अप्रैल	6-8 ग्राम बोरेक्स (सुहागा) प्रति ली० पानी में घोल बनाकर प्रत्येक माह छिड़काव करें।	8 किग्रा०
3	दीमक	मई से जुलाई	मेटाराइजियम 10 ग्राम/पेड़	1 किग्रा०
4	शाखा गांठ कीट	जुलाई से सितम्बर	डाईमैथोएट 1.5 मिली०/ली० या 5 क्यूनालफास 1.5 मिली०/ली० 15 दिन के अन्तराल पर 2 छिड़काव	5 ली०
		अक्टूबर	2-4 डी रसायन 200 पी०पी०एम० का घोल	200 ग्रा०
5	जाला बनाने वाला कीट	अगस्त से अक्टूबर	पेड़ के जालों को डण्डे से छुड़ा दें तथा कीड़ों को एकत्र कर नष्ट कर दें। अधिक प्रकोप की स्थिति में क्यूनालफास अक्टूबर-नवम्बर में 2 मिली०/ली० पानी में घोल कर छिड़काव करें।	2.5 ली०
		नवम्बर, दिसम्बर	नवम्बर-दिसम्बर में गहरी जुताई करें।	
6	गुजिया कीट	जुलाई से नवम्बर	बागों की जुताई करना।	
		दिसम्बर	400 गेज की 30 सेमी० चौड़ी अल्काथिन की पट्टी 1/2 मी० की उंचाई पर तने में लपेट दें सिरों पर गिरिस लगा दें। क्लोरपाइरीफास 15 प्रतिशत चूर्ण 250 ग्राम/पेड़ की दर से।	6 किग्रा० पालीथिन 1 ली० ग्रीस 1.25 ली०
		जनवरी	बेवेरिया बेसियाना का प्रयोग पेड़ के तने के चारों ओर यदि गुजिया पेड़ पर चढ़ चुकी हो तो इमिडाक्लोरपिड 1 मिली० प्रति 3 ली० पानी का घोल छिड़काव।	1.25 ली०
7	भुनगा कीट	जुलाई-अगस्त	घने बागों की कटाई-छंटाई कर साफ सुथरा एवं जल निकास का उचित प्रबन्धन	
		जनवरी से फरवरी	इमिडाक्लोरपिड 1 मिली० प्रति 3 ली० पानी 15 दिन के अन्तराल पर। 5 प्रतिशत नीम शीड कोर्नल एक्सट्रैक्स या निम्बीसीडीन 2 प्रतिशत घोल का छिड़काव	1.25 ली० 1.25 ली०
8	खर्चा रोग (पाउडरी मिल्ड्यू)	फरवरी, मार्च	घुलनशील गंधक 2 ग्राम/ली० पानी में फरवरी प्रथम पक्ष में। ट्राईडोमार्फ (कैलेक्सीन) फरवरी द्वितीय पक्ष से दो छिड़काव 15 दिनों के अन्तराल पर 1 मिली० प्रति ली० की दर से।	4.00 किग्रा० घुलनशील गंधक 1.0 ली०
9.	एन्थ्रक्नोज	सितम्बर	कारबेन्डजिम (बावस्टिन) 1 ग्राम प्रति ली० पानी में अथवा कापर आक्सीक्लोराइड (3 ग्राम प्रति ली० पानी में)	1.0 किग्रा० 2.5 से 3 किग्रा०

अमरुद उद्यानों में एकीकृत नाशीजीव प्रबन्धन

क्र० सं०	कीट/व्याधि	प्रभावी समय	आई.पी.एम. पैकेज	प्रति हे० मात्रा
1	फलमक्खी	अप्रैल-जुलाई	<ul style="list-style-type: none"> मिथाईल यूजीनाल 0.1 प्रतिशत + मैलाथियान 0.2 प्रतिशत (10 ट्रेप एक हेक्टेयर उद्यान हेतु) फल मक्खी से ग्रस्त गिरे हुए फलों को एकत्र कर नष्ट कर दें। कार्बरिल 0.2 प्रतिशत + प्रोटीन हाइड्रोजाइलेट 0.1 प्रतिशत या शीरा का छिड़काव (प्रिओवी स्टेज पर)। कार्बरिल 0.1 प्रतिशत या फैन्थोएट 0.05 प्रतिशत या फोसालोन 0.01 प्रतिशत का छिड़काव। 	10 ट्रेप
2	छाल खाने वाला कीट	नवम्बर	<ul style="list-style-type: none"> इसके द्वारा बनाए गये जालों को हटाने के बाद सभी छिद्रों को चिकनी मिट्टी से बन्द कर दें तथा ताजे छिद्रों में 0.5 प्रतिशत डाईक्लोरोवास डाल कर बन्द कर दें। 	
3	उकठा रोग	मार्च	<ul style="list-style-type: none"> रोग को लगने पर पेड़ को उखाड़ कर नष्ट कर दें। एस्पेरजिलस नाइजर/ट्राइकोडर्मा गोबर के साथ मिलाकर थालों में प्रयोग करें। 	4-5 किग्रा०
4	एन्थ्रकनोज फ्रुट राट		<ul style="list-style-type: none"> कापर आक्सी क्लोराइड 0.3 प्रतिशत अथवा कार्बन्डाजिम 0.1 प्रतिशत घोल का छिड़काव 	3.50 किग्रा०

आंवला उद्यानों में एकीकृत नाशीजीव प्रबन्धन

क्र० सं०	कीट/व्याधि	प्रभावी समय	आई.पी.एम. पैकेज	प्रति हे० मात्रा
1	शूट गाल कीट	अक्टूबर-नवम्बर	<ul style="list-style-type: none"> प्रभावित शाखाओं को काट कर जलायें। 	
2	छाल खाने वाले कीट	सितम्बर	<ul style="list-style-type: none"> एस्पेरजिलस कान्डीडुस फंगस नीम सीड कर्नल एक्सट्रेट (NSKE) 5 प्रतिशत इसके द्वारा बनाये गये जालों को हटाने के बाद सभी छिद्रों को चिकनी मिट्टी से बन्द कर दें तथा ताजे छिद्रों में 0.5 प्रतिशत डाईक्लोरोवास डाल कर बन्द कर दें। 	120 कु०
3	रस्ट	सितम्बर-अक्टूबर	<ul style="list-style-type: none"> इन्डोफिल एम-45, 0.2 प्रतिशत घोल का छिड़काव बोरेक्स 0.5-0.6 प्रतिशत घोल का छिड़काव जिंक सल्फेट 0.4 प्रतिशत, कापर सल्फेट 0.4 प्रतिशत और बोरेक्स 0.47 प्रतिशत घोल का एक 	50 किग्रा०

			साथ छिड़काव प्रभावशाली पाया गया है।	
--	--	--	-------------------------------------	--

7.8 पावर स्प्रेयर :-

फलपट्टी योजना के अन्तर्गत बागों में लाने वाले कीट/व्याधियों के नियंत्रण हेतु पावर स्प्रेयर की आवश्यकता होती है। योजनान्तर्गत पावर स्प्रेयर पर अनुदान दिये जाने की व्यवस्था की गयी है। यह अनुदान एकीकृत बागवानी विकास मिशन (MIDH) के अन्तर्गत अनुमन्य अनुदान के अनुसार कृषकों/बागवानी को सुविधा प्रदान की जायेगी। योजनान्तर्गत दी जाने वाली सुविधाओं का विवरण निम्नवत् है :-

क्र० सं०	उपकरण का नाम	इकाई लागत	अनुमन्य सहायता
1	Powered knapsack Sprayer/Power Operated Taiwan sprayer (capacity above 16/ lts)	Rs. 0.20 lakh/unit	Subject to a maximum of Rs. 0.08 lakh/unit for general category farmers, and in the case if SC, ST, Small and Marginal farmers, women farmers and beneficiaries in subject of maximum of Rs. 0.10 lakh/unit
2	Tractor mounted/ Operated Sprayer (below 20 BHP)	Rs. 0.20 lakh/unit	Subject to a maximum of Rs. 0.08 lakh/unit for general category farmers, and in the case if SC, ST, Small and Marginal farmers, women farmers and beneficiaries in subject of maximum of Rs. 0.10 lakh/unit
3	Tractor mounted/ Operated Sprayer (above 35 BHP)/ Electrostatic Sprayer	Rs. 1.26 lakh/unit	40% cost subject to a maximum of Rs. 0.50 lakh/unit for general category farmers, and in the case if SC, ST Small and Marginal farmers, women farmers and beneficiaries in 50% of cost, subject to a maximum of Rs. 0.63 lakh/unit.

7.9 कृषक प्रशिक्षण :-

कृषकों के लिये दो दिवसीय (जिले के भीतर) प्रशिक्षण कार्यक्रम

फलपट्टी योजना के अन्तर्गत चयनित जनपदों के विभिन्न कार्यक्रमों में लाभान्वित होने वाले सभी कृषकों के लिये कार्यक्रम विशेष के अनुसार दो दिवसीय प्रशिक्षण जनपद के कृषि विज्ञान केन्द्रों के साथ औद्योगिक प्रयोग एवं प्रशिक्षण केन्द्रों तथा कृषि विश्वविद्यालयों (प्रशिक्षण प्रभाग) पर उपलब्ध प्रशिक्षण केन्द्रों पर आयोजित कराये जायेंगे। विभाग के औद्योगिक प्रयोग एवं प्रशिक्षण केन्द्रों को प्राथमिकता दी जायेगी। इस कार्यक्रम पर रू० 1000/- प्रति लाभार्थी प्रति दिन (आने-जाने का किराया सहित) व्यय किया जायेगा। एक प्रशिक्षण कार्यक्रम में 25 से 50 लाभार्थियों के समूह हो सकते हैं।

7.10 गोष्ठी

योजना के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु गोष्ठियों का प्रबन्ध किया जाये। प्रत्येक गोष्ठी की लागत 2 लाख रू० निर्धारित की गयी है, जो कि पूर्णता राज्य सरकार द्वारा वहन की जायेगी।

7.11 प्रदेश के बाहर, देश के भीतर तथा देश के बाहर अन्य देशों में भ्रमण कार्यक्रम

फलपट्टी विकास योजना के चयनित जनपदों के चयनित कृषकों के लिये भ्रमण एवं प्रदर्शन कार्यक्रम आयोजित कराया जायेगा। यह कार्यक्रम प्रदेश के बाहर, देश के भीतर विभिन्न विशिष्ट उत्पादक क्षेत्रों में

विभिन्न कार्यक्रम विशेष के रोल मॉडल से कृषकों को परिचित कराने एवं नवीन तकनीकी को अपनाये जाने हेतु प्रेरित करने के उद्देश्य से आयोजित कराया जायेगा। यह कार्यक्रम वास्तविक व्यय के अनुसार परियोजना आधारित कार्यक्रम के रूप में कार्यान्वित किया जायेगा, जिसका शत-प्रतिशत लागत राज्य सरकार द्वारा वहन किया जायेगा।

8. प्रशासनिक व्यय

परियोजना के अन्तर्गत कराये जाने वाले कार्यों के अभिलेखीकरण, अनुश्रवण, सूचनाओं के आदान-प्रदान, किराये का वाहन, यात्रा व्यय, स्टेशनरी, व्यवसायिक सेवाओं, कम्प्यूटर क्य/अनुरक्षण आदि कार्यों के लिए योजना लागत की 05 प्रतिशत धनराशि का समावेश करते हुए आवश्यक धनराशि की मांग की गयी है।

9. योजना का सत्यापन

प्रदेश में योजनान्तर्गत कार्यक्रमों का सत्यापन जनपदीय अधिकारियों द्वारा निम्नवत सुनिश्चित किया जायेगा-

क्र०सं०	सत्यापन अधिकारी	सत्यापन प्रतिशत
1	योजना प्रभारी	100 प्रतिशत
2	वरिष्ठ उद्यान निरीक्षक	50 प्रतिशत
3	जिला उद्यान अधिकारी	25 प्रतिशत
4	उप निदेशक उद्यान	10 प्रतिशत

10. योजना का अनुश्रवण

राज्य स्तर पर निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, उ०प्र० के मार्ग निर्देशन में योजना के नोडल अधिकारी, निदेशालय उद्यान (मुख्यालय) लखनऊ इस योजना का अनुश्रवण एवं समीक्षा करेंगे तथा प्रत्येक माह संकलित सूचना प्रमुख सचिव उद्यान उत्तर प्रदेश शासन को प्रेषित करेंगे। मण्डल स्तर पर उप निदेशक कार्यक्रमों का क्रियान्वयन एवं समीक्षा करेंगे तथा प्रगति रिपोर्ट मुख्यालय को उपलब्ध करायेंगे।

योजनान्तर्गत संचालित फल पट्टियों का विकास कर बागवानी विकास कार्यक्रम वर्ष 2017-18 से 2021-22 तक की कार्ययोजना का समय-समय पर आवश्यकतानुसार संशोधन करने के समस्त अधिकार निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, उत्तर प्रदेश में निहित होगा।

11. योजना का लाभ

योजना क्रियान्वयन के फलस्वरूप निम्नवत लाभ प्राप्त होंगे।

- 1 प्रत्यक्ष रूप से पर्यावरण सुरक्षा प्राप्त होना।
- 2 पर्यावरण सुरक्षा के प्रति जनमानस में जागरूकता पैदा करना।
- 3 पोषक सुरक्षा पर निदान।
- 4 मृदा स्वास्थ्य में बढ़ोत्तरी।
- 5 गुणवत्तायुक्त फल उत्पादन में वृद्धि।
- 6 अनुत्पादक बागों में कैनोपी मैनेजमेंट/जीर्णोद्धार के फलस्वरूप उत्पादन क्षमता में वृद्धि।
- 7 अतिरिक्त रोजगार का सृजन।

लाभार्थी चयन हेतु प्रार्थना पत्र का प्रारूप

1.	कार्यक्रम का नाम जिसके अन्तर्गत लाभार्थी का चयन किया जाना है	
2.	लाभार्थी का नाम :	
3.	पिता/पति का नाम :	
4.	लाभार्थी का पता – गांव का नाम पोस्ट विकास खण्ड जनपद मोबाईल/टेलीफोन नम्बर आई0एफ0एस0कोड	
5.	ऑनलाइन पंजीकरण संख्या	
6.	बैंक का विवरण – खाता संख्या बैंक का नाम बैंक शाखा का नाम	
7.	लाभार्थी की श्रेणी (✓ टिक करें) (आरक्षण की दशा में प्रमाण-पत्र संलग्न करें)	सामान्य वर्ग <input type="checkbox"/> अनुसूचित जाति <input type="checkbox"/> अल्पसंख्यक <input type="checkbox"/> लघु व सीमान्त अनु0 जनजाति <input type="checkbox"/> महिला पि0 जाति <input type="checkbox"/>
8.	लाभार्थी की शैक्षिक योग्यता प्रस्तावित कार्यक्रम हेतु (अनुभव यदि कोई हो)	
9.	लाभार्थी के नाम कुल कृषि योग्य भूमि (जो राजस्व अभिलेखों में उसके स्वयं के नाम दर्ज हो) खसरा संख्याहे0 कार्यक्रम के अन्तर्गत चयनित क्षेत्रफलहे0
10.	सिंचाई का साधन	
11.	लाभार्थी द्वारा उत्पादित फसल/बाग का नाम (✓ टिक करें)	(1) आमहे0 (2) अमरुदहे0 (3) आंवलाहे0
12.	लाभार्थी द्वारा चयनित कार्यक्रम के संचालन हेतु अपेक्षित अन्य अभिलेख	
	संलग्नक- 1) जोतबही की प्रमाणित फोटो प्रति 2) अनुबन्ध पत्र।	

कृषक हस्ताक्षर

संस्तुतिकर्ता

मैंने प्रस्तावित कृषक की भूमि का निरीक्षण किया है, जोकार्यक्रम के लिये उपयुक्त है। आवेदनकर्ता के चयन की संस्तुति की जाती है।

संस्तुतिकर्ता (क्षेत्रीय कार्यकर्ता) के हस्ताक्षर

चयन की संस्तुति की जाती है

1. खण्ड विकास अधिकारी के हस्ताक्षर
phalpatti disha nirdesh

2. वरिष्ठ उद्यान निरीक्षक के हस्ताक्षर

लाभार्थी चयन स्वीकृत पत्र का प्रारूप

कार्यालय जिला उद्यान अधिकारी/अधीक्षक राजकीय उद्यान

जनपद दिनांकश्री
 पुत्र/पति श्री ग्राम पोस्ट
 विकासखण्ड जनपद पंजीकरण संख्या.....
 आपके द्वारा (कार्यक्रम का नाम) हेतु प्राप्त आवेदन प्राप्त दिनांक
 के क्रम में अनुमति प्रदान करते हुए सूचित किया जाता है कि कार्यक्रम के दिशा-निर्देशों के अनुसार कार्य
 कराना सुनिश्चित करें। कार्यक्रम के आवश्यक मदों के सापेक्ष निम्नलिखित इनपुट्स योजना द्वारा उपलब्ध
 कराये जायेंगे एवं शेष इनपुट्स तथा श्रम आदि स्वयं द्वारा वहन किया जाएगा :-

क्र०सं०	निवेश का नाम	मात्रा	निवेश का मूल्य (रु० में)
1			
2			
3			
4			
5			
6			

कार्यक्रम के विभिन्न क्रियाकलापों के नियत समय पर पूर्ण करना आपका दायित्व होगा, तदुपरान्त अनुदान भुगतान हेतु बिल बाउचर निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप प्रस्तुत करना होगा।

यदि कार्यक्रम का क्रियान्वयन समय से एवं निर्धारित मानकों के अनुसार सम्पादित नहीं किया जाता है तो आप (लाभार्थी) अनुदान के पात्र नहीं होंगे।

हस्ताक्षर
 जिला उद्यान अधिकारी/
 अधीक्षक राजकीय उद्यान

12. उपयोगिता प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि फलपट्टी विकास योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष में प्राप्त धनराशि रू0 के सापेक्ष धनराशि रू0 का नियमानुसार उपयोग दिनांक तक कर लिया गया है तथा योजनान्तर्गत दिनांक को धनराशि रू0 अवशेष है तथा दिनांक को धनराशि रू0 समर्पित की गयी है।

जनपद का नाम

क्र० सं०	कार्यक्रम का नाम	वर्ष में प्राप्त धनराशि	वर्ष में व्यय की गयी धनराशि	दिनांक को अवशेष धनराशि	दिनांक को समर्पित धनराशि
1	2	3	4	5	6
1					
2					
	योग				

प्रमाणित किया जाता है कि प्राप्त धनराशि उन्ही मदों पर व्यय की गयी है, जिस मद के लिये धनराशि स्वीकृति की गयी है।

प्रतिहस्ताक्षरित

(प्रति हस्ताक्षर)

(हस्ताक्षर)

उपनिदेशक, उद्यान

जिला उद्यान अधिकारी /
अधीक्षक राजकीय उद्यान

भारत में प्रतिबन्धित पेस्टीसाइड्स/पेस्टीसाइड्स फारमुलेशन की सूची

A. Pesticides Banned for manufacture, import and use (27 Nos).

1. Aldrin
2. Benzene Hexachloride
3. Calcium Cyanide
4. Chlodane
5. Copper Acetoarsenite
6. Cibromochloropropane
7. Endrin
8. Ethy Mercury Chloride
9. Ethylparathion
10. Heptachlo
11. Menazone
12. Nitrofen
13. Paraguta Dimetyl Sulphate
14. Pentachloro Nitrobenzene
15. Pentachlorophenol
16. Pheny Mercury Acetate
17. Sodiun Methane Arsonate
18. Tetradifon
19. Toxafen
20. Aldecarb
21. Chlorobenzilate
22. Dicldrine
23. Maleic Hydrazide
24. Ethylene Dibromide
25. TCA (Trichloro acetic acid)
26. Metoxuron
27. Chlorofenvinphos

B. Pesticides/ Pesticides formulations banned for use but thier manufacture is allowed for export (2 Nos).

1. Nicotin Sulfate
2. Captafol 80% powder

C. Pesticides formulations banned for import, manufacture and use (4 Nos).

1. Methomyl 24%L
2. Methomyl 12.5%L
3. Phosphamidon 85%SL
4. Carbofuron 50%SP

D. Pesticides withdrawn (7 Nos).

1. Dalapon
2. Fervan
3. Formothion
4. Nickel Chloride
5. Paradihlorovenzene (PDCB)
6. Simazine
7. Warfarin

E. PESTICIDES RESTRICTED FOR USE IN INDIA

1. Aluminum Phosphide
2. DDT
3. lindane
4. Methyl Bromide
5. Methyl Parahion
6. Sodiun Cyanide
7. Methoxy Ethyl Mercuric Chloride (MEMC)
8. Monocrotophos
9. Endosulfan
10. Fenitrothion
11. Diazinon
12. Fenthion

13. Dazomet

कृपया फलपट्टी विकास योजना के अन्तर्गत संचालन सम्बन्धी दिशा-निर्देश वर्ष 2017-18 से प्रभावी का अवलोकन करने का कष्ट करें-

1. प्रस्तावना

प्रदेश की भूमि एवं जलवायु फलदार पौधों के लिए उपयुक्त है। प्रदेश के कतिपय जनपद के क्षेत्र, फल विशेष उत्पादन के लिए अधिक उपयुक्त है। इन क्षेत्रों में फल विशेष के गुणवत्तायुक्त उत्पादन तथा क्षेत्र विस्तार को प्रोत्साहन करने हेतु फल पट्टी के रूप में विकसित करने का प्रयास किया गया है। प्रदेश में 3 फलों आम, अमरुद एवं आंवला के विकास के लिए राज्य सरकार द्वारा फल पट्टी घोषित की गयी हैं। आम फलपट्टी के अन्तर्गत जनपद सहारनपुर, मेरठ, बागपत, बुलन्दशहर, अमरोहा, प्रतापगढ़, वाराणसी, लखनऊ, उन्नाव, सीतापुर, हरदोई, फैजाबाद तथा बाराबंकी के 31 विकास खण्ड आच्छादित हैं। अमरुद फलपट्टी के अन्तर्गत जनपद कौशाम्बी एवं बदायूँ के 06 विकास खण्ड चयनित हैं तथा आंवला फलपट्टी के अन्तर्गत जनपद प्रतापगढ़ के 2 विकास खण्ड चयनित किये गये हैं। फल विशेष के गुणवत्तायुक्त उत्पादन एवं क्षेत्र विस्तार हेतु फल पट्टियों का विकास कर बागवानी को बढ़ावा देने का उल्लेख प्रदेश सरकार के "संकल्प पत्र 2017" में उल्लेख है, जिसे दृष्टिगत रखते हुए फलपट्टियों का विकास कर बागवानी को बढ़ावा दिये जाने की कार्ययोजना तैयार की गयी है। इस कार्य योजना में चयनित कृषकों को चयनित क्षेत्र विस्तार, कैनोपी मैनेजमेंट, प्लास्टिक क्रेटस, हार्वैस्टर, पैक हाउस निर्माण, एकीकृत कीट नाशी प्रबन्धन (आई0पी0एम0)/एकीकृत पोषण तत्व प्रबन्धन (आई0एन0एम0), पावर स्प्रेयर आदि को सहायतित मूल्य पर उपलब्ध कराना समावेशित किया गया है।

2. उद्देश्य

फलपट्टी विकास कर बागवानी विकास का उद्देश्य निम्नवत है:-

- 2.1 संहत क्षेत्रों में गुणवत्तायुक्त फल उत्पादन तथा क्षेत्र विस्तार करना।
- 2.2 पुराने अल्प उत्पादक बागों का जीर्णोद्धार एवं कैनोपी प्रबन्धन।
- 2.3 विपणन/भण्डारण की सुगमता हेतु प्लास्टिक क्रेटस का वितरण।
- 2.4 आम की तुड़ाई से क्षति बचाने हेतु मैंगो हार्वैस्टर को उपलब्ध कराना।
- 2.5 फलों के भण्डारण/ग्रेडिंग हेतु आनफार्म पैक हाउस निर्माण कराना।
- 2.6 कीट/व्याधि नाशक रसायनों से होने वाले प्रदूषण/हानियों से सुरक्षा हेतु आई0पी0एम0/आई0एन0एम0/पैकेज को प्रोत्साहित करना।
- 2.7 कीट नाशक रसायनों के छिड़काव हेतु पावर स्प्रेयर का वितरण।
- 2.8 फलोत्पादन की तकनीकों एवं तुड़ाई के उपरान्त क्षतियों को कम करने आदि के सम्बन्ध में कृषकों/बागवानों को प्रशिक्षित करना।
- 2.9 योजना के प्रचार-प्रसार हेतु गोष्ठियों का आयोजन करना।

3. दिशा निर्देश का प्रभावी अवधि

फलपट्टी का विकास कर बागवानी को बढ़ावा देने विषयक यह दिशा-निर्देश वर्ष 2017-18 से प्रभावी होगी।

4. लाभार्थी चयन की प्रक्रिया

उचित लाभार्थी का चयन कार्यक्रम की सफलता एवं इम्पैक्ट सुनिश्चित करने के लिये एक महत्वपूर्ण बिन्दु है। इसे पूरी पारदर्शिता एवं सावधानी पूर्वक सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है। सर्वप्रथम कृषकों को कार्यक्रमों की पूर्ण जानकारी होना आवश्यक है। इच्छुक कृषकों को योजना के अन्तर्गत लाभार्थी चयन हेतु ऑनलाइन पंजीकरण कृषि विभाग, उ0प्र0 की वेबसाइट upagriculture.com पर कराना होगा। तदुपरान्त उन्हें निर्धारित प्रारूप पर प्रार्थना पत्र जिला उद्यान अधिकारी को देना होगा (एनेक्जर-1 पर दिया गया है), जिसके साथ कृषक होने का साक्ष्य, (किसान जोत बही), प्रस्तावित क्षेत्रफल में जिसमें कार्यक्रम लिया जाना हो

विषयक साक्ष्य, रू0-10/- के स्टाम्प पर अनुबन्ध-पत्र संलग्न किया जायेगा। प्राप्त आवेदन-पत्र सम्बन्धित योजना प्रभारी/क्षेत्रीय कार्यकर्ता के स्थलीय निरीक्षण की आख्या/संस्तुति तथा खण्ड विकास अधिकारी द्वारा संस्तुति/अग्रसारण के उपरान्त जिला उद्यान अधिकारी के कार्यालय में प्रस्तुत किये जायेंगे, जिन्हें उनके पूर्ण पता सहित एक पंजिका में क्रमबद्ध रूप में अभिलिखित किया जायेगा। इस प्रकार प्राप्त पूर्ण आवेदन पत्र प्रथम आवक-प्रथम पावक के आधार पर जिला उद्यान अधिकारी/अधीक्षक राजकीय उद्यान द्वारा स्वीकृति पत्र जारी किया जायेगा। जिला उद्यान अधिकारी द्वारा स्वीकृति जारी होने पर आवेदनकर्ता योजना का लाभार्थी माना जायेगा। लाभार्थी चयन स्वीकृत पत्र का प्रारूप एनेक्जर-2 पर दिया गया है।

5. लाभार्थी चयन हेतु पात्रता की शर्तें

योजना की सफलता का मुख्य आधार उपयुक्त लाभार्थियों का चयन ही होता है। अतएव लाभार्थियों के चयन के संबंध में निम्न बिन्दुओं को ध्यान में रखा जाये:-

- लाभार्थियों का चयन ऑनलाइन के माध्यम से उपयुक्तता के आधार पर प्रथम आवक-प्रथम पावक के सिद्धांत पर किया जाएगा।
- लाभार्थियों के पास अपना बाग हो तथा जो अनुदान के अतिरिक्त वांछित धनराशि की व्यवस्था करने में सक्षम हो।
- योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार विभिन्न समाचार पत्रों, इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया आदि के माध्यम से किया जायेगा।
- योजनान्तर्गत फलपट्टी क्षेत्र (बिन्दु सं0-6 के अनुसार) के सभी कृषक पात्र हैं, परन्तु लघु सीमान्त एवं महिला कोटि के कृषकों को वरीयता प्रदान की जाये।
- प्रदेश सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आरक्षण नियम लागू होंगे।
- योजनान्तर्गत एक लाभार्थी को अधिकतम 4.0 हे0 की सीमा तक अनुदान अनुमन्य होगा। इस सीमा तक अनुदान एक वर्ष अथवा उससे अधिक अवधि में लाभ दिया जा सकेगा।

6. योजना का कार्यक्षेत्र

प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश में फलों के विकास हेतु आम, अमरुद और आंवला की फल पट्टियां घोषित की गई हैं। आम फलपट्टी के अन्तर्गत 13 जनपद (सहारनपुर, मेरठ, बागपत, बुलन्दशहर, अमरोहा, प्रतापगढ़, वाराणसी, लखनऊ, उन्नाव, सीतापुर, हरदोई, फैजाबाद, बाराबंकी), अमरुद फल पट्टी के अन्तर्गत 02 जनपद (कौशाम्बी और बदायूँ) तथा आंवला फल पट्टी के अन्तर्गत 01 जनपद प्रतापगढ़ आच्छादित हैं। इन जनपदों के चयनित विकास खण्ड फल पट्टी योजना के अन्तर्गत आच्छादित हैं, जिनका जनपदवार विवरण निम्नवत है।

क्र० सं०	जनपद	चयनित विकास खण्डों की संख्या	चयनित विकास खण्ड
1	2	3	4
1	सहारनपुर	1	सधौली कदीम, बेहट
2	मेरठ	1	माछरा (शाहजहाँपुर)
3	बागपत	3	जानी, पिलाना, खेकड़ा
4	बुलन्दशहर	2	स्याना, ऊँचागाँव
5	अमरोहा	4	1-अमरोहा, जोया, 2-गजरौला, हसनपुर
6	प्रतापगढ़	2	कुँडा, कालाकांकर
क्र० सं०	जनपद	चयनित विकास खण्डों की संख्या	चयनित विकास खण्ड
7	वाराणसी	1	चिरईगाँव

8	लखनऊ	4	1-माल, मलिहाबाद, काकोरी 2-बक्शी का तालाब
9	उन्नाव	5	हसनगंज, मियांगंज, औरास, सफीपुर, फतेहपुर
10	सीतापुर	2	1-महमूदाबाद 2-खैराबाद
11	हरदोई	1	शाहाबाद
12	फैजाबाद	3	1-मसौधा, सोहावल 2- माया बाजार
13	बाराबंकी	2	देवा, बंकी
अमरूद-			
1	कौशाम्बी	2	चायल, मूरतगंज
2	बदायूँ	4	म्याऊ, जगत, उसावां, कादरचौक
आंवला-			
1	प्रतापगढ़	2	सदर, मगरौरा

7. प्रस्तावित कार्य

योजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्य निम्नवत् हैं-

7.1 क्षेत्र विस्तार -

आम, अमरूद एवं आंवला फलों के क्षेत्र विस्तार हेतु एकीकृत बागवानी विकास मिशन योजना के अनुसार राज्य सहायता दी जानी प्रस्तावित है।

नये उद्यानों की स्थापना हेतु सांकेतिक ईकाई लागत/राज्य सहायता का विवरण निम्नवत् है-

7.1.1- इकाई लागत प्रति हेक्टेयर- आम की सघन बागवानी

पौध संख्या- 400 (5×5) मी0

(धनराशि ₹0 में)

क्र० सं०	मद	प्रस्तावित व्यवस्था		
		स्थापना वर्ष (60%)	अनुरक्षण द्वितीय वर्ष (20%)	अनुरक्षण तृतीय वर्ष (20%)
	सामाग्री लागत			
1	पौध सामग्री (रोपण वर्ष 10% अतिरिक्त, द्वितीय वर्ष 25% तृतीय वर्ष 10%) + आई.पी.एम./आई.एन.एम. (नीम केक, एसपरजिलस, ट्राइकोडर्मा, बिबेरिया वैसियाना, एजेटोबैक्क्टर, पी.एस.बी.एवं के.एम.बी) (अनुदान की धनराशि का व्यय प्राथमिकता पर रोपण सामग्री पर की जायेगी।)	9840	3280	3280
	योग-	9840	3280	3280

7.1.2— इकाई लागत प्रति हेक्टेयर— अमरूद की सघन बागवानी
पौध संख्या— 1111 (3×3) मी०

(धनराशि रू० में)

क्र० सं०	मद	प्रस्तावित व्यवस्था		
		स्थापना वर्ष (60%)	अनुरक्षण द्वितीय वर्ष (20%)	अनुरक्षण तृतीय वर्ष (20%)
	सामाग्री लागत			
1	पौध सामग्री (रोपण वर्ष 10% अतिरिक्त, द्वितीय वर्ष 25% तृतीय वर्ष 10%) +आई.पी.एम./आई.एन.एम. (नीम केक, एसपरजिलस, ट्राइकोडर्मा, बिबेरिया वैसियाना, एजेटोबैक्टर, पी एस बी एवं के एम बी) (अनुदान की धनराशि का व्यय प्राथमिकता पर रोपण सामग्री पर की जायेगी।)	17599	5866	5867
	योग—	17599	5866	5867

7.1.3— इकाई लागत प्रति हेक्टेयर— आम
पौध संख्या— 100 (10×10) मी०

(धनराशि रू० में)

क्र० सं०	मद	प्रस्तावित व्यवस्था		
		स्थापना वर्ष (60%)	अनुरक्षण द्वितीय वर्ष (20%)	अनुरक्षण तृतीय वर्ष (20%)
	सामाग्री लागत			
1	पौध सामग्री (रोपण वर्ष 10% अतिरिक्त, द्वितीय वर्ष 25% तृतीय वर्ष 10%)	3300	750	300
2	आई.पी.एम./आई.एन.एम. (नीम केक, ट्राइकोडर्मा, बिबेरिया वैसियाना, एजेटोबैक्टर, पी.एस.बी. एवं के. एम. बी.)	2350	1000	1000
3	वर्मी कम्पोस्ट	2000	800	1250
	योग—	7650	2550	2550

7.1.4— इकाई लागत प्रति हेक्टेयर— अमरूद
पौध संख्या—278 (6×6) मी०

(धनराशि रू० में)

क्र० सं०	मद	प्रस्तावित व्यवस्था		
		स्थापना वर्ष (60%)	अनुरक्षण द्वितीय वर्ष (20%)	अनुरक्षण तृतीय वर्ष (20%)
	सामाग्री लागत			
1	पौध सामग्री (रोपण वर्ष 10% अतिरिक्त, द्वितीय वर्ष 25% तृतीय वर्ष 10%)	7296	1680	672
2	आई.पी.एम./आई.एन.एम. (नीम केक, एसपरजिलस, ट्राइकोडर्मा, बिबेरिया वैसियाना, एजेटोबैक्टर, पी.एस. बी. एवं के. एम. बी.)	2206	1354	1354
3	वर्मी कम्पोस्ट	2000	800	1808
	योग—	11502	3834	3834

7.1.5— इकाई लागत प्रति हेक्टेयर— आवला
पौध संख्या—278 (6×6) मी०

(धनराशि रू० में)

क्र० सं०	मद	प्रस्तावित व्यवस्था		
		स्थापना वर्ष (60%)	अनुरक्षण द्वितीय वर्ष (20%)	अनुरक्षण तृतीय वर्ष (20%)
	सामाग्री लागत			
1	पौध सामग्री (रोपण वर्ष 10% अतिरिक्त, द्वितीय वर्ष 25% तृतीय वर्ष 10%)	6992	1587	644
2	आई.पी.एम./आई.एन.एम. (नीम बेस्ड फारमुलेशन, ट्राइकोडर्मा, एजेटोबैक्टर, पी.एस. बी. एवं के. एम. बी.)	2510	2414	3357
3	वर्मी कम्पोस्ट	2500	—	—
	योग—	12002	4001	4001

7.2 पुराने अनुत्पादक बागों/वृक्षों को रिप्लेसमेंट की व्यवस्था

फल पट्टी क्षेत्र के अन्तर्गत पुराने बागों/वृक्षों जो अनुत्पादक हो गये हैं, उनको रिप्लेसमेंट किये जाने की अनुमति इस शर्त के साथ प्रदान की जायेगी कि यह सुनिश्चित हो जाये कि बाग/वृक्ष अनुत्पादक हो गये हैं, और उनको जीर्णोद्धार/कैनोपी मैनेजमेंट तकनीकों से उत्पादक बनाया जाना सम्भव न हो। ऐसे अनुत्पादक बागों/वृक्षों को रिप्लेसमेंट किये जाने की संस्तुति जनपद स्तर पर गठित समिति द्वारा की जायेगी। इस समिति में वन विभाग, कृषि विज्ञान केन्द्र अथवा केन्द्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान के वैज्ञानिक, जिलाधिकारी द्वारा नामित मजिस्ट्रेट तथा सम्बन्धित जनपद के जिला उद्यान अधिकारी (सदस्य—सचिव) होंगे। यह समिति कृषकों/बागवानों द्वारा अनुत्पादक बागों/वृक्षों के रिप्लेसमेंट हेतु दिये गये आवेदन पत्र पर बागों/वृक्षों का निरीक्षण करेगी। निरीक्षण समिति बागों/वृक्षों के अनुत्पादक पाये जाने की दशा में पातन के अनुमति की संस्तुति सम्बन्धित वन विभाग के अधिकारी को उपलब्ध करायेगी।

7.3 कैनोंपी प्रबन्धन

जीर्णोद्धार तकनीकी के अन्तर्गत बागों की दशा एवं फल पौधों की उम्र के आधार पर निम्नलिखित प्रबन्धन चरणबद्ध ढंग से किया जाये :-

4. बीजू पौधों के ऐसे बाग जो पुराने एवं अनुत्पादक हो गये हैं, उनकी टॉप वर्किंग की जायेगी, जिसमें बीजू पौधों के टहनियों पर उत्तम गुणवत्ता के किस्मों के सायन की ग्राफिटिंग/बडिंग करके इन्हें उत्तम व्यासायिक किस्मों में बदल दिया जायेगा।
5. विभिन्न किस्मों के उम्र के अनुसार ट्रिमिंग एवं बिरलीकरण न करने पर पौधों की यह प्रवृत्ति होती है कि उनकी टहनियां आपस में मिलकर सघन हो जाती है। अतएव ऐसे पौधे जिनकी टहनियां आपस में मिल गई हों, उनका उचित ट्रिमिंग एवं बिरलीकरण किया जाए।
6. यह कार्यवाही शाखाओं की ट्रिमिंग एवं टहनियों के प्रबन्धन के द्वारा पौधों का आकार रूपांतरित कर उचित कैनोंपी आकार प्रदान किया जा सकता है।

आम : आम हेतु 120 किग्रा० सड़ी गोबर की खाद या कम्पोस्ट, 2.5 किग्रा० यूरिया, 3 किग्रा० सिंगल सुपरफास्फेट और 1.5 किग्रा० म्यूरेट ऑफ पोटास प्रति वृक्ष संस्तुत किया गया है। यूरिया की आधी मात्रा तथा सिंगल सुपरफास्फेट और म्यूरेट ऑफ पोटास की सम्पूर्ण मात्रा फरवरी माह के अन्त में प्रयोग करना चाहिये। यूरिया की अवशेष आधी मात्रा जून माह के अन्त में प्रयोग करना चाहिये जबकि कम्पोस्ट की सम्पूर्ण मात्रा (120 किग्रा० प्रति वृक्ष) जुलाई माह के प्रथम सप्ताह में प्रयोग किया जाये। खाद एवं उर्वरकों का प्रयोग पेड़ के चारों ओर बने बेसिन में करें।

जीर्णोद्धार/कैनोंपी प्रबन्धन किये हुए पेड़ों की समुचित सिंचाई निकले हुए कल्लों के उचित विकास हेतु किया जाना आवश्यक है। इसलिये वातावरण के तापक्रम एवं भूमि में नमी की दशा के अनुसार कृन्तन किये गये वृक्ष की मार्च से लेकर मानसून आने तक 15 से 20 दिन के अन्तर पर सिंचाई किया जाना आवश्यक है। नमी संरक्षण हेतु वृक्षों के नीचे मल्लिंग करना लाभप्रद होगा।

अमरूद जीर्णोद्धार/कैनोंपी प्रबन्धन :

8. अमरूद के लगभग सूखे वृक्षों को मई माह में जमीन की सतह से 1-1.5 मीटर ऊपर से पूरी तरह हेडबैक कर देना चाहिये जिससे इसके ऊपर स्वस्थ कैनोंपी विकसित हो सकती है।
9. इन नवसृजित कल्लों को 40 से 50 सेमी० लम्बाई तक बढ़ने देना चाहिये, उसके बाद अक्टूबर माह में इन नवसृजित टहनियों/कल्लों को इसकी 50 प्रतिशत लम्बाई पर पुनः कृन्तन कर देना चाहिये जिससे इसके चारों ओर और शाखाएं निकल सकें।
10. यदि किसान वर्षा ऋतु की फसल लेने का इच्छुक हो तो इन कल्लों पर कली एवं फल आने के लिये छोड़ देना चाहिये।
11. यह उचित होगा कि इन पेड़ों पर जाड़े की फसल को प्रोत्साहित किया जाए, इसलिये वर्षा ऋतु की फसल को रोकने के लिये मई माह में टहनियों का कृन्तन (50 प्रतिशत) पुनः कर देना चाहिये जिससे नए कल्ले विकसित हो सकें। मई माह के कृन्तन के बाद निकले हुए इन नए कल्लों में जाड़े ऋतु में अधिक फलत की क्षमता पायी जाती है।
12. कृन्तन की यह क्रमिक एवं आवर्ती प्रक्रिया प्रत्येक वर्ष दोहराते रहना चाहिये, जिससे पौधों को उचित आकार एवं कैनोंपी मिल सकें तथा जाड़े के ऋतु में अधिकाधिक एवं गुणवत्तायुक्त फलत प्राप्त हो सकें।
13. जीर्णोद्धार/कैनोंपी प्रबन्धन के तत्काल बाद सिंचाई करना चाहिये। जीर्णोद्धार किये गये वृक्षों में ओजस्वी कल्लों के उचित विकास हेतु सिंचाई का समुचित प्रबन्धन करना चाहिये।

14. हेडिंग बैक चरण के दौरान 50 किग्रा0 कम्पोस्ट और 6 किग्रा0 नीम की खली प्रति पेड़ देना चाहिये। जीर्णोद्धार के 6 माह पश्चात् 40 किग्रा0 कम्पोस्ट, 4 किग्रा0 नीम की खली, 1.3 किग्रा0 यूरिया, 1.8 किग्रा0 सिंगल सुपरफास्फेट, 500 ग्राम म्यूरेट ऑफ पोटैस प्रति पेड़ प्रति वर्ष दिया जाना चाहिये।

आवंला : आवंले के हेड बैक के दौरान 50 किलोग्राम सड़ी गोबर की खाद/कम्पोस्ट और 8 किलोग्राम नीम की खली प्रति पेड़ दिया जाना चाहिये। हेड बैक के 6 माह उपरान्त 50 किलोग्राम सड़ी गोबर की खाद/कम्पोस्ट, 4 किलोग्राम नीम की खली, 01 किग्रा0 नत्रजन, 500 ग्राम पोटैस और 750 ग्राम फास्फोरस प्रति पेड़ प्रति वर्ष की दर से दिया जाये। 50 प्रतिशत नत्रजन और फास्फोरस तथा पोटैस की सम्पूर्ण मात्रा जनवरी-फरवरी माह में प्रयोग करें तथा अवशेष नत्रजन की मात्रा जून माह में प्रयोग करें।

नवसृजित कल्लों का बिरलीकरण

4. कृन्तन के तीन से चार माह बाद कृन्तित शाखाओं पर ढेर सारे कल्लें निकलते हैं। जिनका बिरलीकरण अनिवार्य होगा।
5. वृक्षों को उचित आकार प्रदान करने के लिये इन कल्लों का बिरलीकरण किया जाये। जिसके लिये शाखाओं के चारों ओर 8-10 स्वस्थ एवं ओजस्वी कल्लों को छोड़कर शेष को निकालकर वृक्ष को उचित आकार प्रदान कर दिया जाये जिससे इन कल्लों को उचित पोषण एवं प्राकश मिल सके।
6. बिरलीकरण का कार्य मानसून सीजन के दौरान किया जाये। बिरलीकरण के तत्काल बाद कल्लों तथा टहनियों पर 50 प्रतिशत कापर आक्सीक्लोराइड का घोल (3 ग्राम प्रति लीटर पानी) का छिड़काव किया जाये।

कीट एवं व्याधि प्रबन्धन

7. कृन्तित पौधों के जीवितता और नये कल्लों के स्वस्थ विकास हेतु कीट एवं व्याधियों का सघन प्रबन्धन किया जाना अति आवश्यक है।
8. कृन्तित वृक्षों की शाखाओं पर तना बेधक कीट के प्रकोप का निरीक्षण करते रहना चाहिये।
9. तना बेधक कीट द्वारा शाखाओं पर बनाये गये छेदों से कीट के लार्वा को साइकिल की तिल्ली अथवा किसी मजबूत पतले तार की सहायता से बाहर निकालकर नष्ट कर देना चाहिये।
10. शाखाओं तथा टहनियों के सुराखों में छुपे हुए लार्वा को नष्ट करने के लिये सुराखों में किसी कीटनाशी (डाईक्लोरोवास) में भीगे हुए रूई के टुकड़ों को डालकर ऊपर से चिकनी मिट्टी का लेप कर देना चाहिये।
11. लीफ कटिंग वीविल कल्लों की पत्तियों को काटकर नष्ट करती हैं। इसके नियंत्रण के लिये 0.2 प्रतिशत (4 ग्राम प्रति लीटर पानी) कार्बरिल के घोल का दो छिड़काव 15 दिन के अन्तर पर करना चाहिये।
12. नई पत्तियों पर एन्थ्रेक्नोज व्याधि का प्रकोप बहुतायत होता है, जिसके प्रबन्धन के लिये कापर आक्सीक्लोराइड के घोल का (3 ग्राम प्रति लीटर पानी) 15 दिन के अन्तर पर दो छिड़काव करना चाहिये।

7.4 प्लास्टिक क्रेट्स वितरण :-

योजना के अन्तर्गत वितरित की जाने वाली क्रेट्स का अधिकतम मूल्य 500 निर्धारित किया गया है, जिसमें राज्य सहायता का अंश 75 प्रतिशत अर्थात् रू0 375.00 प्रति क्रेट्स राज्य सहायता देय होगा।

7.5 मैंगो हार्वेस्टर

योजना के अन्तर्गत वितरित किये जाने वाले मैंगो हार्वेस्टर का अधिकतम मूल्य 250 निर्धारित किया गया है, जिसमें राज्य सहायता का अंश 75 प्रतिशत अर्थात् रू0 188.00 प्रति हार्वेस्टर की दर से राज्य सहायता देय होगा।

7.6 ग्रेडिंग पैकिंग सेन्टर

योजनान्तर्गत प्रति पैक हाउस पूंजीगत लागत धनराशि रू0 4.00 लाख का 50 प्रतिशत रू0 2.00 लाख की आर्थिक सहायता बैंक एण्डेड सब्सिडी के रूप में देय है। पैक हाउस निर्माण में धरातल से कम से कम एक फिट ऊंचाई पर एक वर्किंग शेड (9 मी0 x 6 मी0) तैयार किया गया हो एवं उसमें फल/सब्जियों के धोने की व्यवस्था, प्लास्टिक क्रेट्स, डीसैपिंग हॉट वाटर ट्रीटमेंट सुविधा, ग्रेडिंग पैकिंग की सुविधा तथा ग्रेडिंग पैकिंग उपरान्त विपणन योग्य उत्पाद के उचित भण्डारण कक्ष की सुविधा आदि का समावेश होना चाहिये।

7.7 एकीकृत कीट रोग प्रबन्धन की क्रमिक गतिविधियां

1. शस्य क्रियाओं द्वारा प्रबंधन

- फसल कटाई के बाद असमान प्रजाति के पौधों को खेत से उखाड़ कर नष्ट करना तथा प्रमाणित बीज/रोगरोधी किस्मों का ही प्रयोग किया जाय।
- फ्रैचबीन के साथ फसल चक्र अपनाने से बैक्टीरियल विल्ट बीमारी का प्रकोप कम होता है।
- खाद्यान फसलों के साथ फसल चक्र तथा गेंदा, प्याज और लहसुन के साथ इन्टरक्रॉपिंग (अन्तराशस्य) करने से निमेटोड्स का प्रकोप कम हो जाता है।
- पौधशाला में उठी हुई क्यारियों में पौध उत्पादन से भूमि जनित रोगों से बचाया जा सकता है।
- पारदर्शी काली पॉलीथीन फिल्म 60–100 गेज नर्सरी क्यारियों पर 15–21 दिन तक लगाने पर सौर्य उष्मीकरण द्वारा खरपतवारों के बीज, निमेटोड्स तथा भूमि के कीट एवं बीमारियां नष्ट हो सकती हैं।
- गर्मियों में गहरी जुताई करने से सूर्य की गर्मी से हानिकारक कीट नष्ट हो जाते हैं।
- एन0पी0के0 उर्वरकों को सन्तुलित मात्रा में प्रयोग करने से फसल स्वस्थ होती है।
- सब्जियों की पौध उत्पादन लो-टनल नर्सरी में करें।

2. यांत्रिक नियंत्रण

- एपीलेकना बीटिल, कीटों के अण्डे, लार्वी, ग्रब्स, प्यूपा तथा वयस्कों को पकड़ कर नष्ट करना।
- क्षतिग्रस्त शाखाओं को काटकर तथा फलों को एकत्र कर नष्ट करना।
- Yellowpan/sticky traps 10 प्रति हेक्टेयर की दर से रस चूसने वाले कीड़ों के लिए लगाते हैं। फैरोमोन-ट्रैप 5 से 15 प्रति हेक्टेयर की दर से लगाने पर फल भेदक कीटों के वयस्कों को नष्ट किया जा सकता है।
- फसल को बुआई/रोपाई के बाद 4 से 6 सप्ताह तक खरपतवारों से मुक्त रखना चाहिए।

3. जैविक नियंत्रण

- प्रीडेटर्स जैसे लेडीबर्ड बीटिल जो एफिड को खाती है, का संरक्षण किया जाय।
- प्राकृतिक शत्रुओं के संरक्षण के लिए मेड़ों पर लोबिया या दाल वाली फसल लगानी चाहिए।
- ट्राइकोग्राम को 50 हजार अण्डे प्रति हेक्टेयर पुष्पारम्भ से साप्ताहिक अन्तराल पर 6 बार प्रयोग करते हैं।
- क्राइसोपरला कार्निया के 2 ग्रब्स प्रति पौधा की दर से हैलिकोवर्पा, एफिड्स तथा अन्य कोमल कीटों की रोकथाम हेतु छोड़ते हैं।
- फसल में पुष्पारम्भ से फलों के विकास तक HaNPV LE 6X10PIB/LE तीन बार छिड़काव करें।
- बी0टी0 500 ग्रा0 प्रति हेक्टेयर की दर से कीट पतंगों के विरुद्ध छिड़काव करते हैं।

- ट्राईकोडर्मा विरडी/ट्राईकोडर्मा हार्जिएनम 5 ग्रा0 प्रति किलो बीज की दर से बीज जनित रोगों की रोकथाम हेतु बीजोपचार किया जाए।
- मूलग्रन्थि निमेटोड की रोकथाम हेतु 200 किलोग्राम नीम की खली भूमि तैयारी के समय प्रयोग की जाती है।
- आई0पी0एम0 कार्यक्रम को सफलता पूर्वक क्रियान्वित करने और अच्छे परिणाम प्राप्त करने के लिए औद्योगिक फसलों के सघन क्षेत्रों का चयन आवश्यक है तथा संहत क्षेत्रों के अन्तर्गत वर्ष की तीनों मौसमों में उगाई जा रही फसलों में 4 हे0 सीमा तक आई0पी0एम0 सुविधा अनुमन्य होगी। तदुपरान्त आगामी वर्ष में अन्य सघन क्षेत्रों का चयन करना होगा। ऐसी फसलें जिनमें रासायनिक दवाओं का अन्धाधुन्ध प्रयोग किया जा रहा है, चयनित संहत क्षेत्रों के अन्तर्गत उन फसलों में आई0पी0एम0 पैकेज को प्राथमिकता दी जाय।

फल एवं शाकभाजी फसलों में एकीकृत नाशीजीव प्रबन्धन कार्यक्रमों के आयोजन हेतु उपरोक्त वर्णित क्रमिक गतिविधियों को फसल की आवश्यकतानुसार अपनाने हेतु कृषकों को प्रेरित किया जाय। फलपट्टी विकास योजना के अन्तर्गत कुल लागत धनराशि रू0 4000/- का 30 प्रतिशत अधिकतम रू0 1200/- प्रति हेक्टेयर की दर से राज्य सहायता की व्यवस्था है। यह सहायता एक कृषक को अधिकतम 4 हे0 की सीमा तक देय होगी जो प्रमुख आई0पी0एम0 टूल्स जैसे अल्काथीन शीट 400 गेज, मिथाइल यूजीनॉल, एसपरजिलस, फेरोमोन ट्रैप+ल्योर्स, एन.पी.वी., ट्राईकोडर्मा हार्जिएनम, इन्सेक्ट अट्रैक्टेंट, बायोपेस्टीसाइड्स, आई.एन.एम. कम्पोनेंट लिक्विड बायो फर्टीलाइजर आफ एन.पी. एण्ड के. पर अनुमन्य होगी। फसलवार आवश्यक निवेशों को अनुमानित व्यय विवरण निम्नवत् है, जो स्थानीय आवश्यकता के अनुसार घट-बढ़ सकता है।

फसल	आई.पी.एम.टूल्स	धनराशि (रू0/हे0)	सहायता/अनुदान (रू0/हे0)
आम एवं आंवला	अल्काथीन शीट 400 गेज मिलीबग हेतु, विवेरिया/स्यूडोमोनॉस, मिथाइल यूजीनॉल/फेरोमोन ट्रैप, बायोपेस्टीसाइड्स, आई.एन.एम. कम्पोनेंट लिक्विड बायो फर्टीलाइजर आफ एन.पी. एण्ड के.	4000	1200
अमरुद	एसपरजिलस, मिथाइल यूजीनॉल/फेरोमोन ट्रैप, बायोपेस्टीसाइड्स, आई.एन.एम. कम्पोनेंट लिक्विड बायो फर्टीलाइजर आफ एन.पी. एण्ड के.	4000	1200
	योग-	4000	1200

भारत सरकार द्वारा 27 कीट व्याधिनाशक रसायनों के उत्पादन, आयात एवं प्रयोग हेतु रोक लगाई गई है, 13 रसायनों के सुरक्षित प्रयोग के लिए प्रतिबन्धित तथा कतिपय अन्य रसायनों के आयात/निर्यात तथा अन्य उपयोग हेतु सुरक्षित नहीं माना गया है। ऐसे प्रतिबन्धित/रोक लगाये गये रसायनों का प्रयोग बागवानी फसलों में न होने दिया जाय। औद्योगिक फसलों में आई.पी.एम. टूल्स के प्रयोग को प्रोत्साहित किया जाय। प्रतिबन्धित एवं रोक लगाये गये रसायनों की सूची एनेकजर-3 पर दिया गया है। विभिन्न फसलों में संस्तुत आई.पी.एम. टूल्स निम्नवत् है:-

आम उद्यानों में एकीकृत नाशीजीव प्रबन्धन

क्र० सं०	कीट/व्याधि	प्रभावी समय	आई.पी.एम. पैकेज	प्रति हे० मात्रा
1	फल मक्खी	माह मई से जुलाई	मिथाईल यूजीनाल 0.1 प्रतिशत (1.5 मिली/ली० पानी)+ मैलाथियान 0.2 प्रतिशत (2.0 मिली/ली० पानी) का घोल बनाकर 8-10 जगह प्रति हे० के हिसाब से चौड़े मुंह की शीशी/डिब्बों में भरकर लटकाना चाहिए।	मिथाईल यूजीनाल-15-20 मिली० मैलाथियान-25-30 मिली०
2	आन्तरिक सड़न	मार्च से अप्रैल	6-8 ग्राम बोरेक्स (सुहागा) प्रति ली० पानी में घोल बनाकर प्रत्येक माह छिड़काव करें।	8 किग्रा०
3	दीमक	मई से जुलाई	मेटाराइजियम 10 ग्राम/पेड़	1 किग्रा०
4	शाखा गांठ कीट	जुलाई से सितम्बर	डाईमथोएट 1.5 मिली०/ली० या 5 क्यूनालफास 1.5 मिली०/ली० 15 दिन के अन्तराल पर 2 छिड़काव	5 ली०
		अक्टूबर	2-4 डी रसायन 200 पी०पी०एम० का घोल	200 ग्रा०
5	जाला बनाने वाला कीट	अगस्त से अक्टूबर	पेड़ के जालों को डण्डे से छुड़ा दें तथा कीड़ों को एकत्र कर नष्ट कर दें।	
			अधिक प्रकोप की स्थिति में क्यूनालफास अक्टूबर-नवम्बर में 2 मिली०/ली० पानी में घोल कर छिड़काव करें।	2.5 ली०
		नवम्बर, दिसम्बर	नवम्बर-दिसम्बर में गहरी जुताई करें।	
6	गुजिया कीट	जुलाई से नवम्बर	बागों की जुताई करना।	
		दिसम्बर	400 गेज की 30 सेमी० चौड़ी अल्काथीन की पट्टी 1/2 मी० की उंचाई पर तने में लपेट दें सिरों पर गिरीस लगा दें।	6 किग्रा० पालीथीन 1 ली० ग्रीस
			क्लोरपाइरीफास 15 प्रतिशत चूर्ण 250 ग्राम/पेड़ की दर से।	1.25 ली०
		जनवरी	बेवेरिया बेसियाना का प्रयोग पेड़ के तने के चारों ओर यदि गुजिया पेड़ पर चढ़ चुकी हो तो इमिडाक्लोरपिड 1 मिली० प्रति 3 ली० पानी का घोल छिड़काव।	1.25 ली०
7	भुनगा कीट	जुलाई-अगस्त	घने बागों की कटाई-छंटाई कर साफ सुथरा एवं जल निकास का उचित प्रबन्धन	
		जनवरी से फरवरी	इमिडाक्लोरपिड 1 मिली० प्रति 3 ली० पानी 15 दिन के अन्तराल पर।	1.25 ली०
			5 प्रतिशत नीम शीड कोर्नल एक्सट्रैक्स या निम्बीसीडीन 2 प्रतिशत घोल का छिड़काव	1.25 ली०
8	खर्चा रोग (पाउडरी मिल्ड्यू)	फरवरी, मार्च	घुलनशील गंधक 2 ग्राम/ली० पानी में फरवरी प्रथम पक्ष में।	4.00 किग्रा० घुलनशील गंधक
			ट्राईडोमार्फ (कैलेक्सीन) फरवरी द्वितीय पक्ष से दो छिड़काव 15 दिन के अन्तराल पर 1 मिली० प्रति ली० की दर से।	1.0 ली०
9.	एन्थ्रकनोज	सितम्बर	कारबेन्डजिम (बावस्टिन) 1 ग्राम प्रति ली० पानी में अथवा	1.0 किग्रा०
			कापर आक्सीक्लोराइड (3 ग्राम प्रति ली० पानी में)	2.5 से 3 किग्रा०

अमरुद उद्यानों में एकीकृत नाशीजीव प्रबन्धन

क्र० सं०	कीट/व्याधि	प्रभावी समय	आई.पी.एम. पैकेज	प्रति हे० मात्रा
1	फलमक्खी	अप्रैल-जुलाई	<ul style="list-style-type: none"> मिथाईल यूजीनाल 0.1 प्रतिशत + मैलाथियान 0.2 प्रतिशत (10 ट्रेप एक हेक्टेयर उद्यान हेतु) फल मक्खी से ग्रस्त गिरे हुए फलों को एकत्र कर नष्ट कर दें। कार्बरिल 0.2 प्रतिशत + प्रोटीन हाइड्रोजाइलेट 0.1 प्रतिशत या शीरा का छिड़काव (प्रिओवी स्टेज पर)। कार्बरिल 0.1 प्रतिशत या फैन्थोएट 0.05 प्रतिशत या फोसालोन 0.01 प्रतिशत का छिड़काव। 	10 ट्रेप
2	छाल खाने वाला कीट	नवम्बर	<ul style="list-style-type: none"> इसके द्वारा बनाए गये जालों को हटाने के बाद सभी छिद्रों को चिकनी मिट्टी से बन्द कर दें तथा ताजे छिद्रों में 0.5 प्रतिशत डाईक्लोरोवास डाल कर बन्द कर दें। 	
3	उकठा रोग	मार्च	<ul style="list-style-type: none"> रोग को लगने पर पेड़ को उखाड़ कर नष्ट कर दें। एस्पेरजिलस नाइजर/ट्राइकोडर्मा गोबर के साथ मिलाकर थालों में प्रयोग करें। 	4-5 किग्रा०
4	एन्थ्रकनोज फ्रुट राट		<ul style="list-style-type: none"> कापर आक्सी क्लोराइड 0.3 प्रतिशत अथवा कार्बन्डाजिम 0.1 प्रतिशत घोल का छिड़काव 	3.50 किग्रा०

आंवला उद्यानों में एकीकृत नाशीजीव प्रबन्धन

क्र० सं०	कीट/व्याधि	प्रभावी समय	आई.पी.एम. पैकेज	प्रति हे० मात्रा
1	शूट गाल कीट	अक्टूबर-नवम्बर	<ul style="list-style-type: none"> प्रभावित शाखाओं को काट कर जलायें। 	
2	छाल खाने वाले कीट	सितम्बर	<ul style="list-style-type: none"> एस्पेरजिलस कान्डीडुस फंगस नीम सीड कर्नल एक्सट्रेट (NSKE) 5 प्रतिशत इसके द्वारा बनाये गये जालों को हटाने के बाद सभी छिद्रों को चिकनी मिट्टी से बन्द कर दें तथा ताजे छिद्रों में 0.5 प्रतिशत डाईक्लोरोवास डाल कर बन्द कर दें। 	120 कु०
3	रस्ट	सितम्बर-अक्टूबर	<ul style="list-style-type: none"> इन्डोफिल एम-45, 0.2 प्रतिशत घोल का छिड़काव बोरेक्स 0.5-0.6 प्रतिशत घोल का छिड़काव जिंक सल्फेट 0.4 प्रतिशत, कापर सल्फेट 0.4 प्रतिशत और बोरेक्स 0.47 प्रतिशत घोल का एक साथ छिड़काव प्रभावशाली पाया गया है। 	50 किग्रा०

7.8 पावर स्प्रेयर :-

फलपट्टी योजना के अन्तर्गत बागों में लाने वाले कीट/व्याधियों के नियंत्रण हेतु पावर स्प्रेयर की आवश्यकता होती है। योजनान्तर्गत पावर स्प्रेयर पर अनुदान दिये जाने की व्यवस्था की गयी है। यह अनुदान एकीकृत बागवानी विकास मिशन (MIDH) के अन्तर्गत अनुमन्य अनुदान के अनुसार कृषकों/बागवानी को सुविधा प्रदान की जायेगी। योजनान्तर्गत दी जाने वाली सुविधाओं का विवरण निम्नवत् है :-

क्र० सं०	उपकरण का नाम	इकाई लागत	अनुमन्य सहायता
1	Powered knapsack Sprayer/Power Operated Taiwan sprayer (capacity above 16/ lts)	Rs. 0.20 lakh/unit	Subject to a maximum of Rs. 0.08 lakh/unit for general category farmers, and in the case if SC, ST, Small and Marginal farmers, women farmers and beneficiaries in subject of maximum of Rs. 0.10 lakh/unit
2	Tractor mounted/ Operated Sprayer (below 20 BHP)	Rs. 0.20 lakh/unit	Subject to a maximum of Rs. 0.08 lakh/unit for general category farmers, and in the case if SC, ST, Small and Marginal farmers, women farmers and beneficiaries in subject of maximum of Rs. 0.10 lakh/unit
3	Tractor mounted/ Operated Sprayer (above 35 BHP)/ Electrostatic Sprayer	Rs. 1.26 lakh/unit	40% cost subject to a maximum of Rs. 0.50 lakh/unit for general category farmers, and in the case if SC, ST Small and Marginal farmers, women farmers and beneficiaries in 50% of cost, subject to a maximum of Rs. 0.63 lakh/unit.

7.9 कृषक प्रशिक्षण :-

कृषकों के लिये दो दिवसीय (जिले के भीतर) प्रशिक्षण कार्यक्रम

फलपट्टी योजना के अन्तर्गत चयनित जनपदों के विभिन्न कार्यक्रमों में लाभान्वित होने वाले सभी कृषकों के लिये कार्यक्रम विशेष के अनुसार दो दिवसीय प्रशिक्षण जनपद के कृषि विज्ञान केन्द्रों के साथ औद्योगिक प्रयोग एवं प्रशिक्षण केन्द्रों तथा कृषि विश्वविद्यालयों (प्रशिक्षण प्रभाग) पर उपलब्ध प्रशिक्षण केन्द्रों पर आयोजित कराये जायेंगे। विभाग के औद्योगिक प्रयोग एवं प्रशिक्षण केन्द्रों को प्राथमिकता दी जायेगी। इस कार्यक्रम पर रू० 1000/- प्रति लाभार्थी प्रति दिन (आने-जाने का किराया सहित) व्यय किया जायेगा। एक प्रशिक्षण कार्यक्रम में 25 से 50 लाभार्थियों के समूह हो सकते हैं।

7.10 गोष्ठी

योजना के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु गोष्ठियों का प्रबन्ध किया जाये। प्रत्येक गोष्ठी की लागत 2 लाख रू० निर्धारित की गयी है, जो कि पूर्णता राज्य सरकार द्वारा वहन की जायेगी।

7.11 प्रदेश के बाहर, देश के भीतर तथा देश के बाहर अन्य देशों में भ्रमण कार्यक्रम

फलपट्टी विकास योजना के चयनित जनपदों के चयनित कृषकों के लिये भ्रमण एवं प्रदर्शन कार्यक्रम आयोजित कराया जायेगा। यह कार्यक्रम प्रदेश के बाहर, देश के भीतर विभिन्न विशिष्ट उत्पादक क्षेत्रों में विभिन्न कार्यक्रम विशेष के रोल मॉडल से कृषकों को परिचित कराने एवं नवीन तकनीकी को अपनाये जाने हेतु प्रेरित करने के उद्देश्य से आयोजित कराया जायेगा। यह कार्यक्रम वास्तविक व्यय के अनुसार परियोजना आधारित कार्यक्रम के रूप में कार्यान्वित किया जायेगा, जिसका शत-प्रतिशत लागत राज्य सरकार द्वारा वहन किया जायेगा।

8. प्रशासनिक व्यय

परियोजना के अन्तर्गत कराये जाने वाले कार्यों के अभिलेखीकरण, अनुश्रवण, सूचनाओं के आदान-प्रदान, किराये का वाहन, यात्रा व्यय, स्टेशनरी, व्यवसायिक सेवाओं, कम्प्यूटर क्य/अनुरक्षण आदि कार्यों के लिए योजना लागत की 05 प्रतिशत धनराशि का समावेश करते हुए आवश्यक धनराशि की मांग की गयी है।

9. योजना का सत्यापन

प्रदेश में योजनान्तर्गत कार्यक्रमों का सत्यापन जनपदीय अधिकारियों द्वारा निम्नवत सुनिश्चित किया जायेगा—

क्र०सं०	सत्यापन अधिकारी	सत्यापन प्रतिशत
1	योजना प्रभारी	100 प्रतिशत
2	वरिष्ठ उद्यान निरीक्षक	50 प्रतिशत
3	जिला उद्यान अधिकारी	25 प्रतिशत
4	उप निदेशक उद्यान	10 प्रतिशत

10. योजना का अनुश्रवण

राज्य स्तर पर निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, उ०प्र० के मार्ग निर्देशन में योजना के नोडल अधिकारी, निदेशालय उद्यान (मुख्यालय) लखनऊ इस योजना का अनुश्रवण एवं समीक्षा करेंगे तथा प्रत्येक माह संकलित सूचना प्रमुख सचिव उद्यान उत्तर प्रदेश शासन को प्रेषित करेंगे। मण्डल स्तर पर उप निदेशक कार्यक्रमों का क्रियान्वयन एवं समीक्षा करेंगे तथा प्रगति रिपोर्ट मुख्यालय को उपलब्ध करायेंगे।

योजनान्तर्गत संचालित फल पट्टियों का विकास कर बागवानी विकास कार्यक्रम वर्ष 2017-18 से 2021-22 तक की कार्ययोजना का समय-समय पर आवश्यकतानुसार संशोधन करने के समस्त अधिकार निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, उत्तर प्रदेश में निहित होगा।

11. योजना का लाभ

योजना क्रियान्वयन के फलस्वरूप निम्नवत लाभ प्राप्त होंगे।

- 1 प्रत्यक्ष रूप से पर्यावरण सुरक्षा प्राप्त होना।
- 2 पर्यावरण सुरक्षा के प्रति जनमानस में जागरूकता पैदा करना।
- 3 पोषक सुरक्षा पर निदान।
- 4 मृदा स्वास्थ्य में बढ़ोत्तरी।
- 5 गुणवत्तायुक्त फल उत्पादन में वृद्धि।
- 6 अनुत्पादक बागों में कैनोपी मैनेजमेंट/जीर्णोद्धार के फलस्वरूप उत्पादन क्षमता में वृद्धि।
- 7 अतिरिक्त रोजगार का सृजन।

तदनुसार दिशा-निर्देश सम्बन्धित जनपदीय/मण्डलीय अधिकारियों को प्रेषित करने हेतु आलेख तैयार किया गया है। कृपया सहमति की दशा में हस्ताक्षर करना चाहें।

